सशक्त पंचायत सतत् विकास

Government of India
Ministry of Panchayati Raj

Panchayati Raj

पंचायती राज मंत्रालय की गतिविधियों का वार्षिक विवरण

वर्ष
2023-2024

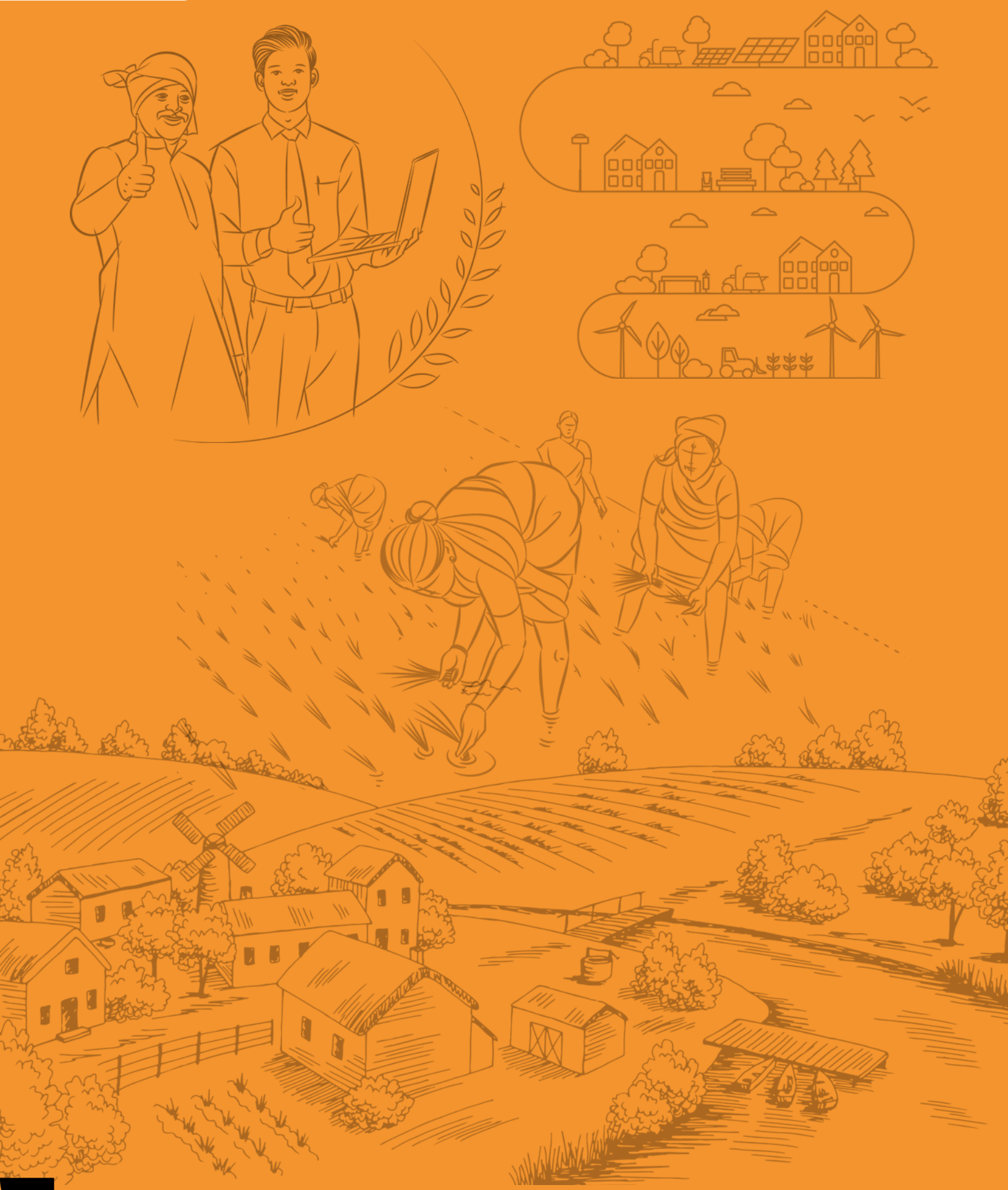

विषय-वस्तु

04 प्रस्तावना

08 मंत्रालय का गठन

16 बजट और योजना

20 पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण

28 पंचायत विकास योजना

32 पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

36 पंचायत विकास सूचकांक

40 ई-गवर्नेंस और आईसीटी पहल

46 केंद्रीय वित्त आयोग- राजकोषीय हस्तांतरण

54 पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में गवर्नेंस

60 स्वामित्व

64 पुरस्कारों के माध्यम से पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण

68 कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन

70 अनुबंध

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 भारतीय पंचायती राज प्रणाली, जिसकी जड़ें हमारे देश के लंबे इतिहास और संस्कृति में हैं, यह 31.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ लगभग 2.6 लाख पंचायतों के लोगों के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करके भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है, जिनमें से लगभग 46% महिलाएं हैं। यह अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है जो समाज के कमजोर वर्ग हैं। इस पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस संशोधन की अगली कड़ी के रूप में भाग IX (अनुच्छेद 243) को पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली, एसटी, एससी और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण; नियमित चुनाव; पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण आदि प्रदान करने के लिए संविधान में जोड़ा गया था।

1.2 पंचायती राज मंत्रालय का विजन

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से विकेंद्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना।

1.3 पंचायती राज मंत्रालय का मिशन

सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास और सेवाओं की कुशल/प्रदायगी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पीआरआई का सशक्तिकरण, सक्षमता और जवाबदेही।

1.4 पंचायती राज मंत्रालय का अधिदेश

1.4.1 पंचायती राज मंत्रालय 27 मई, 2004 को बनाया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य (i) संविधान के भाग IX के कार्यान्वयन की देखरेख करना, (ii) पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में 'पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार)' अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम) का कार्यान्वयन और (iii) संविधान के भाग IX-ए के अनुच्छेद 243जेडडी के संदर्भ में जिला योजना समितियों का संचालन करना है। चूंकि कानून बनाने सहित अधिकांश कार्य राज्य सरकारों के पास हैं, इसलिए मंत्रालय मुख्य रूप से नीतिगत हस्तक्षेप, प्रतिपालन, क्षमता निर्माण, प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में सुधार के संबंध में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

1.4.2 मंत्रालय का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को स्थानीय शासन, सामाजिक परिवर्तन और स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली के लिए एक प्रभावी, कुशल और पारदर्शी माध्यम बनाना है।

1.5 पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका

वित्त आयोग के वित्तपोषण के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (संशोधित आरजीएसए) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) का क्षमता निर्माण।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और प्रतिपालन कार्य के द्वारा समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया
के माध्यम से अभिसरण समग्र योजना।

संविधान के भाग IX-A के अनुच्छेद 243ZD के अनुसार जिला योजना समितियों का संचालन करना

1.6 राज्यों की भूमिका

पंचायतों को हस्तांतरण के लिए ग्यारहवीं अनुसूची **(अनुबंध-I)** में दिए गए 29 विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार करना।

1.7 भाग IX के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए क्षेत्र

जबकि संविधान का भाग IX देश के विशाल क्षेत्र पर लागू होता है, संविधान के अनुच्छेद 243M के अनुसार, कुछ क्षेत्रों को भाग IX से छूट दी गई है। इनमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र; मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र (जिनके लिए जिला परिषदें मौजूद हैं); और पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में जिला स्तरीय पंचायतें शामिल हैं। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जमीनी स्तर की स्थानीय शासन संरचनाएँ मौजूद हैं, जैसे ग्राम परिषदें।

1.8 पंचायती राज संस्थाओं पर बुनियादी डेटा (दिनांक 15.1.2024 तक)

तालिका - 1.1

ग्राम पंचायतें
2,55,197

मध्यवर्ती पंचायतें
6,706

जिला पंचायतें
665

पारंपरिक स्थानीय निकाय
16,152

पेसा राज्य
10

पेसा गांव
77,564

पेसा पंचायतें
22,040

पेसा ब्लॉक
664

पूरी तरह से कवर किए गए पेसा जिले
45

आंशिक रूप से कवर किए गए पेसा जिले
63

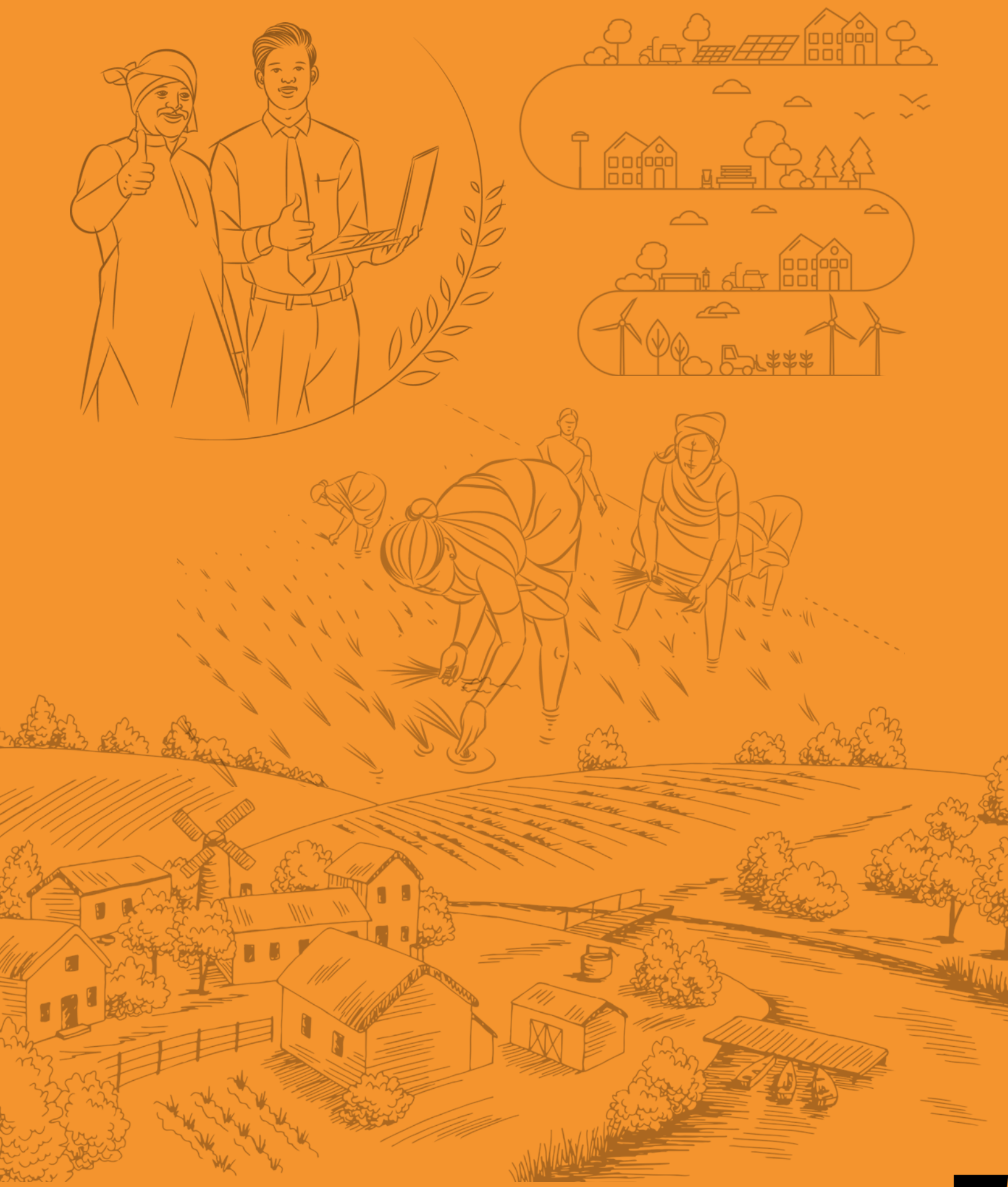

अध्याय-2

मंत्रालय का गठन

2.1 प्रशासनिक संरचना:

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री करता है, जिसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री, एक सचिव, एक अपर सचिव, तीन संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, दो निदेशक, तीन उप सचिव, आठ अवर सचिव और अन्य राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं। । पंचायती राज मंत्रालय के वित्तीय मामलों की देखरेख करने वाले एक वित्तीय सलाहकार हैं। मंत्रालय में नियमित स्वीकृत पदों की संख्या 113 **(संलग्नक-II)** है और मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध III** में दिया गया है।

श्री गिरिराज सिंह
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
पंचायती राज
राज्य मंत्री

2.2 मंत्रालय के प्रभाग

मंत्रालय के पांच प्रमुख प्रभाग हैं, अर्थात् (क) स्वामित्व, ई-गवर्नेंस, एमएमपी ई-पंचायत योजना कार्यान्वयन और सतर्कता एवं सी वी ओ (ख) राजकोषीय हस्तांतरण और नीति (ग) अर्थशास्त्र और सांख्यिकीय मामले, राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड, पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण योजना का कार्यान्वयन, प्रशासन, मीडिया और प्रचार, कार्य अनुसंधान एवं योजना समन्वयन (घ) क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, आरजीएसए योजना कार्यान्वयन और पीडीआई रिपोर्ट कार्यान्वयन (ड.) सामान्य समन्वयन, संसदीय समन्वयन, लोक शिकायत और आरटीआई, विधि समन्वयन और राजभाषा।

2.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

एमओपीआर सेवाओं और संबंधित मामलों में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण से संबंधित मामलों में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करता है। पंचायती राज मंत्रालय में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी वाले कर्मचारियों की संख्या **तालिका 2.1** में दी गई है

तालिका 2.1

दिनांक 31.01.2024 तक की स्थिति के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय में एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का विवरण

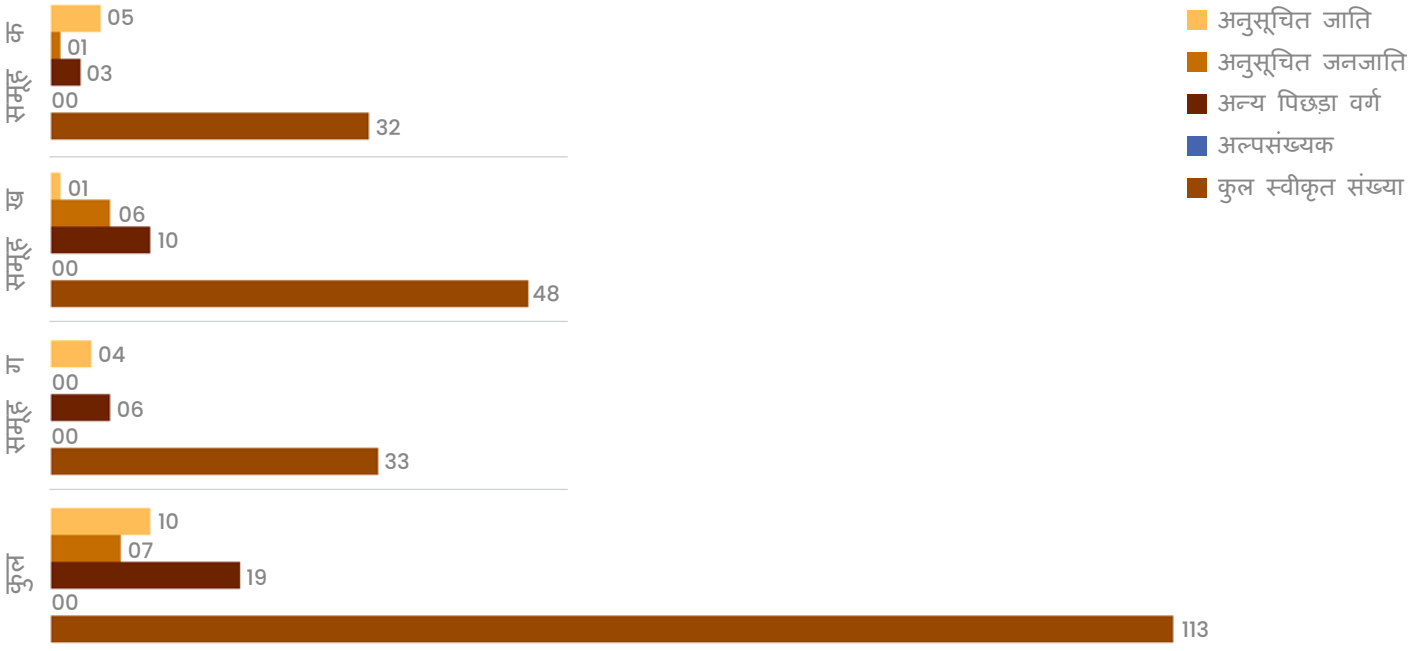

2.4 सतर्कता मामले

सीवीसी की निर्धारित प्रक्रिया और निर्देशों के अनुसार एमओपीआर में सतर्कता मामलों की देखरेख/नियंत्रित की जा रही है। आज की स्थिति के अनुसार, संयुक्त सचिव (गवर्नेंस) को मंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी मनोनीत किया गया है।

2.5 ई-ऑफिस एवं बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने जून, 2014 से पहले ही ई-ऑफिस को लागू कर दिया है जिसमें सभी दस्तावेजों और फाइलों को डिजिटल कर दिया गया है। कार्यालय के सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से डिजिटल रूप से किए जा रहे हैं जिससे फिजिकल फाइलों का चलन लगभग शून्य हो गया है। इससे समय की भी काफी बचत होती है और कागज का उपयोग भी बहुत कम हो जाता है।

यह कार्यालय अक्टूबर, 2014 से सभी कर्मचारियों के बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है और इस मंत्रालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की मासिक आधार पर उपस्थिति में समय की पाबंदी भी बनाए रख रहा है।

2.6 क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू)

पंचायती राज मंत्रालय में भारत सरकार (DoPT) की अधिसूचना सं. T-16017/09/2020-iGOT दिनांक 01.04.2021 के अनुसरण में "मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम" के तहत एक क्षमता निर्माण इकाई (CBU) का गठन किया गया है जिसमें अपर सचिव (पीआर) अध्यक्ष और अन्य आठ सदस्य हैं जो वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं की तैयारी का समन्वयन, योजना कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं एवं सिविल सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच साझा संसाधनों के सृजन की सुविधा प्रदान करते हैं।

मंत्रालय के सीबीयू का मुख्य कार्य अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रत्येक स्तर पर भूमिका की मैपिंग के माध्यम से आवश्यक दक्षताओं का मूल्यांकन करना, मौजूदा योग्यता अंतराल को मैप करने के लिए सीबीसी के सहयोग से प्रभाग-वार एचआर ऑडिट करना, सीबीसी के सहयोग से मंत्रालय के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) को सह-संबंध अद्यतन और कार्यान्वित करना, मंत्रालय में एसीबीपी के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करना और सीबीसी को रिपोर्ट करना, विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में संगठनात्मक क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण और गैर-प्रशिक्षण संबंधी सुधार करना है।

सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) विषय पर पहली बैठक-सह-उन्मुखीकरण कार्यशाला दिनांक 22 जुलाई, 2022 को जीवन भारती भवन में आयोजित की गई जिसमें सदस्य (एचआर), क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी), सीबीसी के प्रतिनिधि, पंचायती राज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रालय की क्षमता निर्माण इकाई के सदस्य उपस्थित थे।

वर्ष 2022-23 के लिए एसीबीपी की समीक्षा हेतु अपर सचिव, पीआर की अध्यक्षता में कई बैठकें आयोजित की गईं। वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की तैयारी के लिए आवश्यक इनपुट यानी स्वीकृत स्ट्रेंथ, कार्यकारी स्ट्रेंथ, मंत्रालय की प्रभागवार गतिविधियां सीबीसी को प्रदान की गई हैं। क्षमता निर्माण आयोग ने पंचायती राज मंत्रालय के संबंध में बेसलाइन और यथास्थिति मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस वित्तीय वर्ष के लिए, मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सीबीसी के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी पहल की है।

2.7 वर्ष 2023-24 के लिए मिशन कर्मयोगी भारत के अंतर्गत वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) का कार्यान्वयन

पंचायती राज मंत्रालय ने मिशन कर्मयोगी भारत के तहत क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) की सिफारिश के अनुसार वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) के चरण- । और चरण- ॥ दोनों के लिए चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2023-2024 के लिए क्षमता निर्माण योजना गतिविधियों को लागू करना शुरू कर दिया है। ।

वर्ष 2022-2023 के दौरान चरण-1 में, पंचायती राज मंत्रालय ने सीबीसी द्वारा सुझाई गई सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को लागू किया है, जिसमें क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) का निर्माण, क्षमता निर्माण के लक्ष्यों की पहचान करने, मंत्रालय के लिए क्षमता आवश्यकताओं का

मूल्यांकन (सीएनए) करने, सीएनए निष्कर्षों का विश्लेषण और सत्यापन करने, क्षमता आवश्यकताओं का पता लगाने संबंधी सुधार आदि के लिए प्रत्येक प्रभाग के प्रमुख स्टाफ सदस्यों सहित एएस/जेएस और/या प्रभाग प्रमुख के साथ प्रभाग-वार बातचीत शामिल है।

चरण-2 में मंत्रालय ने प्रभागवार प्रशिक्षण संबंधी सुधारों और गैर-प्रशिक्षण संबंधी सुधारों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2023-24 की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की सभी गतिविधियों को पदनामवार प्रशिक्षण कैलेंडर और रोडमैप पर लागू किया है।

2.8 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

मंत्रालय ने iGOT पर ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रत्येक सप्ताह के बुधवार की दोपहर को विशेष रूप से बैठक रहित रखना तय किया है।

परिणामस्वरूप, 31 दिसंबर 2023 से पहले 100% कर्मचारी iGOT-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शामिल हो गए हैं।

(ii) ऑनबोर्ड कर्मचारियों ने सीबीपी में प्रस्तावित प्रशिक्षण कैलेंडर के आधार पर iGOT-कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों से मिशन कर्मयोगी भारत के तहत संबंधित सीबीपी में पहचाने गए क्विक विन पाठ्यक्रमों से iGOT-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कम से कम 6 घंटे का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

(iii) मंत्रालय क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के परामर्श से अपने नो योर मिनिस्ट्री मॉड्यूल तैयार करने की प्रक्रिया में है।

2.9 ऑफ़लाइन/फिजिकल प्रशिक्षण हस्तक्षेप/सुधार

पंचायती राज मंत्रालय ने दिनांक 31.01.2024 तक डोमेन, कार्यात्मक और व्यवहारात्मक क्षेत्रों में 13 प्रशिक्षण इंटरवेंशन/कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

परिणामस्वरूप, परामर्शदाताओं और कार्यालय सहायकों सहित अधिकारियों/कर्मचारियों के 201 प्रतिभागियों ने वर्ष 2023-24 (31.01.2024 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रम में भाग लिया।

2.10 दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रम का विवरण तालिका 2.2 में उल्लिखित है

तालिका 2.2

क्र. सं.	क्र. सं. प्रशिक्षण का नाम	आयोजक	अवधि	भाग लेने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	किया गया व्यय (रुपये में)
1	सिविल सेवकों - एएसओ से एसओ स्तर तक के क्षमता निर्माण के लिए सरकार के नियमों और विनियमों पर लेवल बी प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएसटीएम	01 मई से अक्टूबर, 2023	04	155954
2	सिविल सेवकों- एएसओ के लिए की क्षमता निर्माण के लिए सरकार के नियमों और विनियमों पर फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएसटीएम	28.08.23 से 08.09.23, 26.12.23 से 19.01.24 एवं 08.01.24 से 02.02.24	03	135000
3	सिविल सेवकों- यूएस ग्रेड में पदोन्नति के लिए एसओ की क्षमता निर्माण के लिए सरकार के नियमों और विनियमों पर लेवल डी प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएसटीएम	05.06.23 से 14.07.23	01	71889

क्र. सं.	क्र. सं. प्रशिक्षण का नाम	आयोजक	अवधि	भाग लेने वाले अधिकारियों/ क र्म चा रि यों की संख्या	किया गया व्यय (रुपये में)
4	सिविल सेवकों- अवर सचिव के क्षमता निर्माण के लिए सरकार के नियमों और विनियमों पर लेवल ई प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएसटीएम	13.11.23 से 08.12.23	01	62500
5	सीएसएसएस के पीपीएस के लिए लेवल- । और IV प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएसटीएम	05.06.23 से 23.06.23, 01.01.2024 से 19 .01.2024	03	146203
6	योग कार्यशाला अर्थात् "कार्यकारियों/ एक्जीक्यूटिव के लिए कार्यशाला"।	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई)	12-13 मई 2023	01	1000
7	प्रशासनिक सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम, सतर्कता दृष्टिकोण वाली बयानों/शिकायतों की हैंडलिंग/संवीक्षा/ जांच पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईआईएसटीडी	05-07 जून 2023	02	141598
8	सचिवीय प्रभावशीलता और कार्यालय प्रबंधन पर उन्नत पाठ्यक्रम/ एडवांस कोर्स	एनपीसी	19-23 जून 23	01	67236
9	अनुबंध प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईआईएम	09-13 अक्टूबर 23	01	138272
10	"लेखा एवं वित्त" पर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीसी	27.11.2023 से 01.12.23	16	864000
11	ई-गवर्नेंस के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनपीसी	18-22 दिसंबर 23	02	110000
12	iGOT पर उन्मुखी कार्यक्रम	क्षमता निर्माण आयोग	19 जुलाई 2023	121	-
13	आंतरिक शक्तियों के विकास एवं तनावमुक्त प्रबंधन पर कार्यक्रम (तनाव प्रबंधन)	ब्र ह्म कु मा री ज ईश्वरीय विश्व वि द्या ल य " (बीकेआईवीवी)	20 सितम्बर 2023	45	-
	कुल			**201**	**18,93,652**

इसके अलावा, मंत्रालय को वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के तहत ऑफ़लाइन/फिजिकल प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है।

2.11 प्रस्तावित प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है

1. भारत सरकार में स्मार्ट पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, नोटिंग और ड्राफ्टिंग 06 से 10 फरवरी, 2024 तक उदयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई ।
2. "मिशन लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एंड ग्रीन क्रेडिट" 11 अधिकारियों/परामर्शदाताओं के लिए 19 से 23 फरवरी 2024 तक गोवा में आयोजित की गई । - 11 अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भुगतान किया गया।
3. नेतृत्व की अनिवार्यताएं - इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), हैदराबाद में 08 से 12 मार्च, 2024 तक एक सप्ताह का कार्यक्रम - 05 अधिकारियों को नामांकित किया जा रहा है - फाइल प्रस्तुत की जा रही है।
4. इसरो से भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) - फरवरी, 2024 के आखिरी या मार्च, 2024 के पहले सप्ताह के दौरान पारस्परिक रूप से सहमत तिथि के अनुसार।
5. टीम वर्क, संपर्क कौशल और नियम चेतना- तिथियां, स्थान और अन्य चीजों को अंतिम रूप दिया जाना है।

2.12 गैर-प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रम

मंत्रालय ने, गैर-प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रम के भाग के रूप में, लगभग 60 अधिकारियों/कर्मचारियों/ परामर्शदाताओं के लिए एक्सपोज़र विजिट का आयोजन किया, जिन्होंने जनवरी-मार्च 2023 के दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा किया और देश भर के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के कामकाज का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। दौरे पर आये अधिकारियों के समृद्ध अनुभवों को सीबीसी के साथ साझा किया गया।

मंत्रालय ने नए अधिकारियों और मौजूदा अधिकारियों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए फाउंडेशन पाठ्यक्रमों से शुरू होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आईएसटीएम में अधिकारियों/कर्मचारियों को भी नामित किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान, 12 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने असम, मेघालय, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायत / पंचायतें/गांव/क्षेत्र स्तरीय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) आदि में - ग्राम स्तर पर केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का उपयोग करते हुए विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर गैर-प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रम आयोजित किया।

गैर-प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रमों का विवरण तालिका 2.3 में उल्लिखित है

75 वें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2024) के अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया

तालिका 2.3

क्र. सं.	एक्सपोज़र विज़िट का नाम	अवधि	संचालक संगठन	भाग लेने वाले अधिकारियों की संख्या/
1.	सीएसएस के एएसओ स्तर के अधिकारियों के लिए लेवल बी प्रशिक्षण के तहत फील्ड स्तर से जुड़े राज्यों गुवाहाटी, मेघालय, अहमदाबाद में विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन पर एक्सपोजर विजिट	15 दिन	आईएसटीएम	04
2.	सीएसएस के एएसओ स्तर के अधिकारियों के लिए फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ग्राम स्तर और भारत दर्शन से जुड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर एक्सपोजर विजिट	12 दिन	आईएसटीएम	03
3.	सीएसएस के एसओ और यूएस स्तर के अधिकारियों के लिए लेवल डी और ई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों से जुड़े ग्राम स्तर की केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर एक्सपोजर विजिट।	15 दिन	आईएसटीएम	02
4.	गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर एक्सपोजर विजिट - सीएसएसएस के अधिकारी पीपीएस और आशुलिपिक ग्रेड-डी स्तर के लिए लेवल -IV और । प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत लद्दाख, कोलकाता और भोपाल से जुड़े ग्राम स्तर पर एनजीओ केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का उपयोग कैसे कर रहे हैं।	एक सप्ताह	आईएसटीएम	03
	कुल			**12**

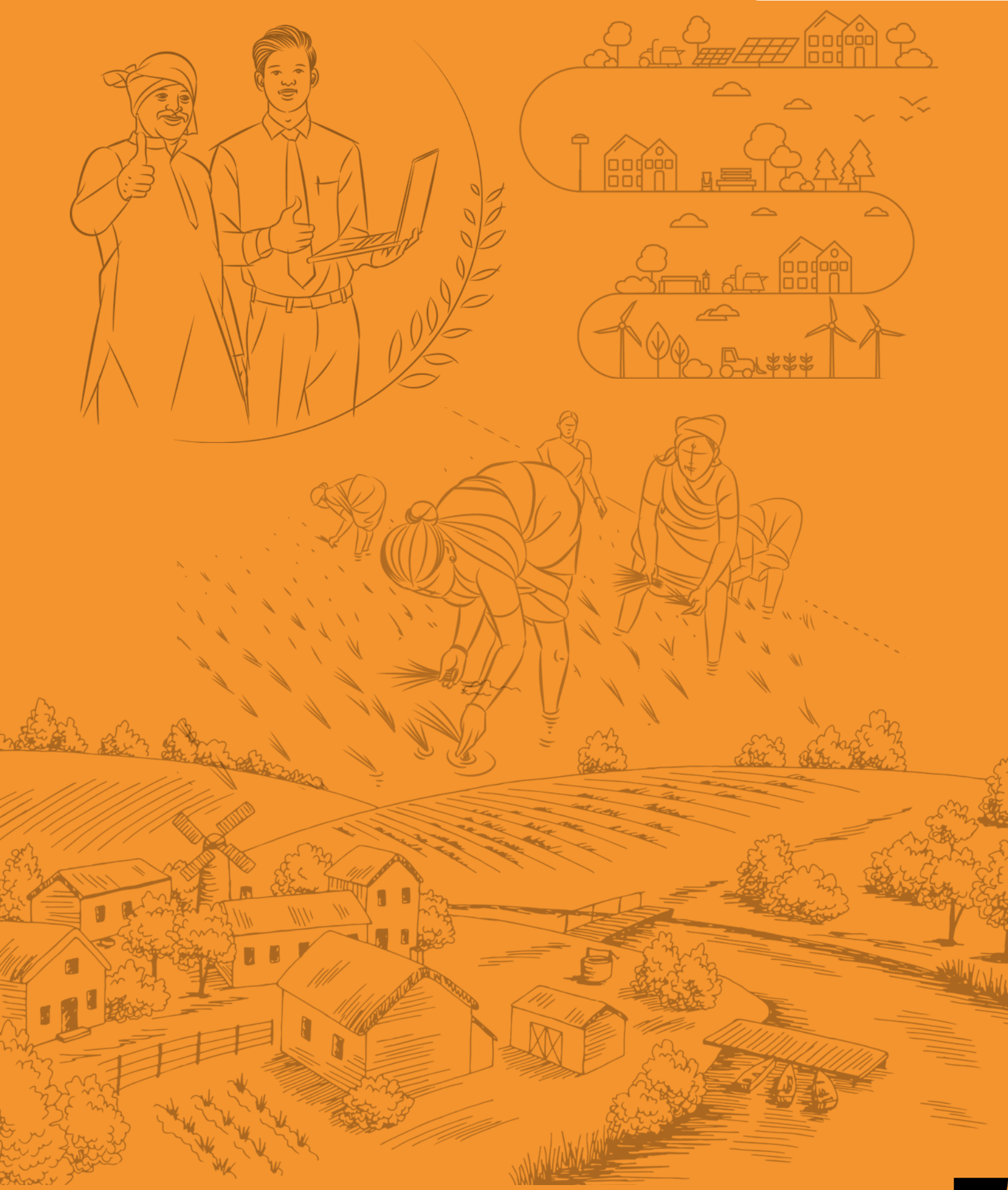

अध्याय-3

बजट और योजना

3.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय ने दो योजनाएं लागू की हैं:-

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना
स्वामित्व की केंद्रीय क्षेत्र योजना

3.2 वर्ष 2023-24 (बीई) (सचिवालय सेवाओं सहित दोनों योजनाएं) के दौरान पंचायती राज मंत्रालय का कुल परिव्यय 1016.42 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.12.2023 तक 795.63 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

3.3 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए):

3.3.1 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए): 5911 करोड़ रुपये की कुल लागत पर दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 (पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ ही को-टर्मिनस) तक कार्यान्वयन के लिए दिनांक 13.04.2022 को संशोधित आरजीएसए योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें 3700 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा और 2211 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा है। यह योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारित है, जिसमें गैर-भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्थाएं भी शामिल हैं, जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं।

3.3.2 (i) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (ii) पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण (iii) कार्य अनुसंधान और प्रचार एवं (iv) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि आरजीएसए की संशोधित योजना के केंद्रीय घटक हैं |

3.4 स्वामित्व (SVAMITVA)

3.4.1 स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा मानचित्रण) 24 अप्रैल, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

3.4.2 यह योजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) और प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में एनआईसीएसआई के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। योजना की कुल लागत 566.23 करोड़ रुपये है।

3.5 व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धनराशि जारी करने और उपयोगिता की निगरानी की संशोधित प्रक्रिया जारी की है। व्यय विभाग के दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सभी हितधारकों के साथ कई साप्ताहिक बैठकें बुलाई गईं। परिणामस्वरूप, अब सभी राज्य व्यय विभाग के दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन कर रहे हैं और पीएफएमएस-एसएनए मॉड्यूल पर भी शामिल हो गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय की एकमात्र मौजूदा केंद्र क्षेत्र योजना यानी स्वामित्व अब पीएफएमएस के सीएनए प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से शामिल हो गई है। सभी कार्यान्वित एजेंसियां अब केंद्र क्षेत्र की योजनाओं के तहत जारी धनराशि की संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग के दिनांक 09.03.2022 के कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन कर रही हैं।

3.6 वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए GeM पोर्टल के अधिकतम उपयोग हेतु सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए कई कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। परिणामस्वरूप, पंचायती राज मंत्रालय में 95% से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद GeM के माध्यम से की गई है:

3.7 वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 (31.12.2023 तक) और बीई 2024-25 से एमओपीआर द्वारा योजना-वार धनराशि के आवंटन और उपयोगिता का विवरण निम्नानुसार दिया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय

वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 [31 दिसंबर 2023 तक] आर.ई./व्यय और बी.ई., वर्ष 2024-25 के लिए बी.ई.

क्र. सं.	योजना का नाम	2021-22			2022-23			2023-24			2024 -25
		बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक	बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक	बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक [31.12. 2023 तक]	बी.ई.
1.	कार्य अनुसंधान एवं प्रचार*	3.00	2.50	2.50	3.00	3.00	12.98	8.00	8.68	6.00	10.00
2.	मीडिया एवं प्रचार	12.00	5.52	5.52	10.00	10.00	-	-	0.00	0.00	0.00
3.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	0.20	0.17	0.17	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.00	0.20
4.	स्वामित्व	200.00	140.00	139.99	150.00	105.00	103.29	76.00	54.00	44.65	70.00
5.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	593.00	618.00	618.00	593.00	682.98	682.98	819.00	814.86	655.35	916.50
6.	पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण	48.00	52.51	52.52	50.00	50.82	50.56	47.80	47.12	44.76	46.80
7.	ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना	20.00	11.71	11.71	20.00	15.00	15.00	20.00	16.28	11.28	90.17
	कुल योजना	**876.20**	**830.41**	**830.41**	**826.20**	**867.00**	**864.96**	**971.00**	**941.14**	**762.04**	**1133.67**
8.	सचिवालय सेवाएं (योजनेत्तर)	37.23	37.97	34.43	42.37	38.77	36.22	45.42	42.86	33.59	49.97
	कुल योग (योजना एवं योजनेत्तर)	**913.43 (+0.01) टोकन अनुपूरक**	**868.38**	**864.84**	**868.57**	**905.77**	**901.18**	**1016.42**	**984.00**	**795.63**	**1183.64**

* बी.ई. 2023 – 24 कार्य अनुसंधान एवं प्रचार योजना के लिए है, जिसे 13.04.2022 को सीसीईए द्वारा विधिवत अनुमोदित संशोधित आरजीएसए योजना के तहत शामिल किया गया है।

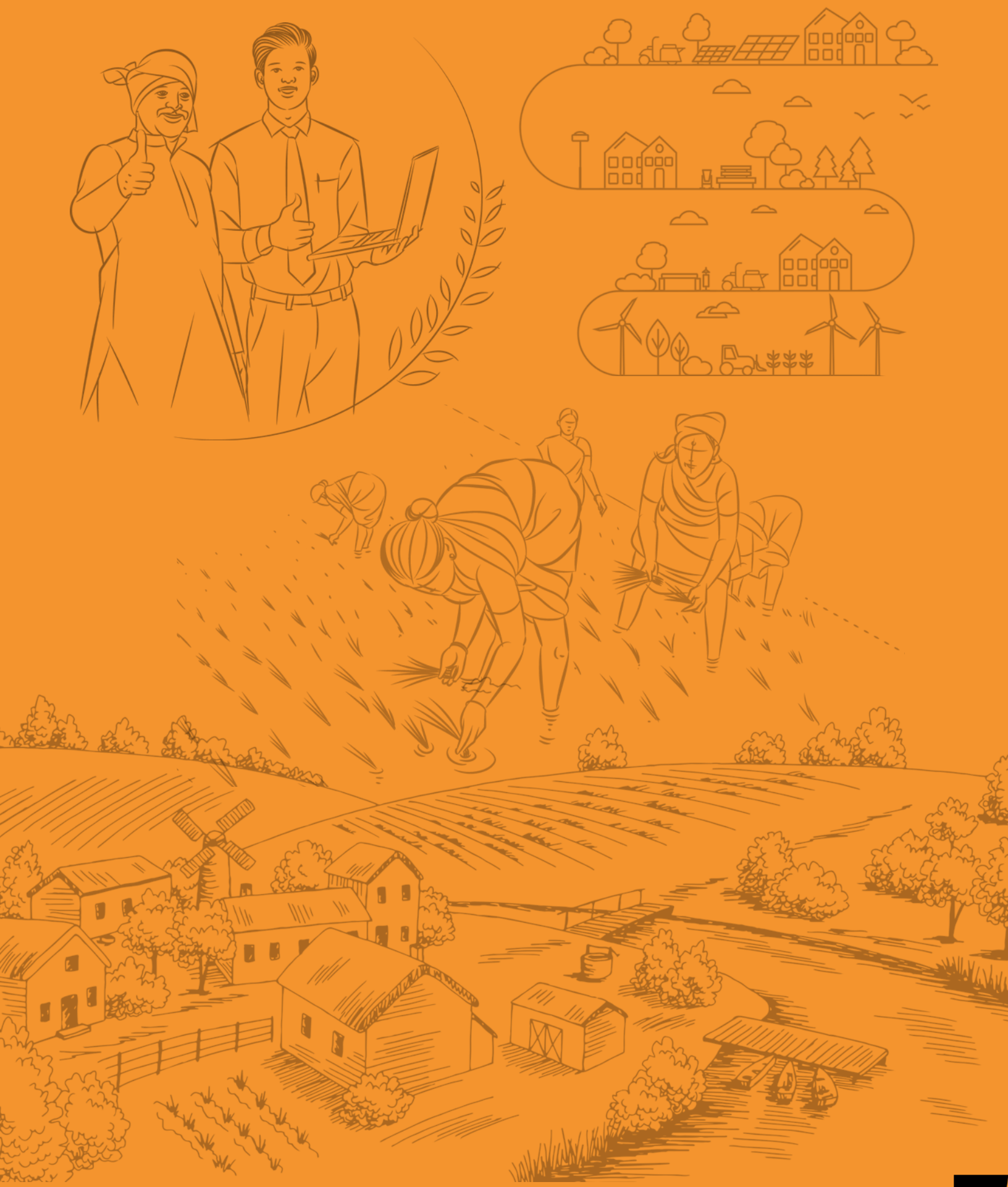

अध्याय-4

पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण

4.1.1 पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की प्रमुख गतिविधियों में से एक रहा है। मंत्रालय पीआरआई को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम संबंधी, तकनीकी और संस्थागत सहायता प्रदान कर रहा है। माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2016-17 के अपने बजट भाषण में घोषणा की कि "पंचायती राज संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शासन क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक एक नई पुनर्गठित योजना शुरू करने का प्रस्ताव है..."

4.1.2 तदनुसार, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के दौरान लागू की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए उक्त योजना को संशोधित किया गया जिसकी लागत 5911 करोड़ रुपये है जिसमें 3700 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा और 2211 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा है।

4.2 संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए):

4.2.1 उद्देश्य: क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, पंचायतों के कार्य-निष्पादन को प्रोत्साहित करना, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना और पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण।

4.2.2 आरजीएसए की कार्यान्वयन अवधि: दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 (पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि की समाप्ति के साथ ही समाप्त)

4.2.3 बजट आवंटन:
5911 करोड़ रुपये
केंद्र का हिस्सा: 3700 करोड़ रुपये
राज्य का हिस्सा: 2211 करोड़ रुपये

एसआईआरडी डिब्रूगढ़, असम में रिसाइक्लिंग और वॉश प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.2.4 घटक:

संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य घटक	
राज्य घटक	**केंद्रीय घटक**
• क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण • संस्थागत अवसंरचना और मानव संसाधन • एसएटीसीओएम/आईपी आधारित वर्चुअल क्लास रूम/समान तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा • पंचायत अवसंरचना के लिए सहायता (जीपी भवन का निर्माण और सीएससी का सह-स्थापन) • कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ (पीएमयू) • पंचायतों को ई-सक्षम बनाना • पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिए विशेष सहायता • नवाचार के लिए सहायता (नवाचारी गतिविधियां) • आर्थिक विकास एवं आय में वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता • आईईसी गतिविधियां • कार्यक्रम प्रबंधन/प्रशासनिक लागत।	• तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना • ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना • पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण • कार्य अनुसंधान एवं प्रचार • अंतर्राष्ट्रीय सहयोग • एनआईआरडी एंड पीआर और अन्य उत्कृष्टता संस्थान (एजेंसी सेवाएं)

4.2.5 कवरेज: गैर-भाग IX क्षेत्रों सहित सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)।

4.2.6. वित्तपोषण पैटर्न:

इस योजना में केंद्र और राज्य दोनों घटक शामिल हैं। योजना के केंद्रीय घटक पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। हालाँकि, राज्य घटकों के लिए वित्तपोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्रमशः 60:40 के अनुपात में है, पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर जहां केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 है। अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र का हिस्सा 100% है।

4.2.7 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) प्रणाली:

सीबी एंड टी गतिविधियां मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर), राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी एंड पीआर) एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा कैस्केडिंग मोड में संचालित की जाती हैं। आरजीएसए के तहत धनराशि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है और बदले में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईआरडी एंड पीआर और अन्य पीआरआई प्रशिक्षण संस्थाओं) को राज्य की हिस्सेदारी के बराबर धनराशि जारी करती हैं। सीबीएंडटी की मौजूदा प्रणाली इस प्रकार है:

पूर्वी इंफाल जिला, मणिपुर के सीआरपी के लिए मिशन अंत्योदय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण प्रणाली का पदानुक्रम

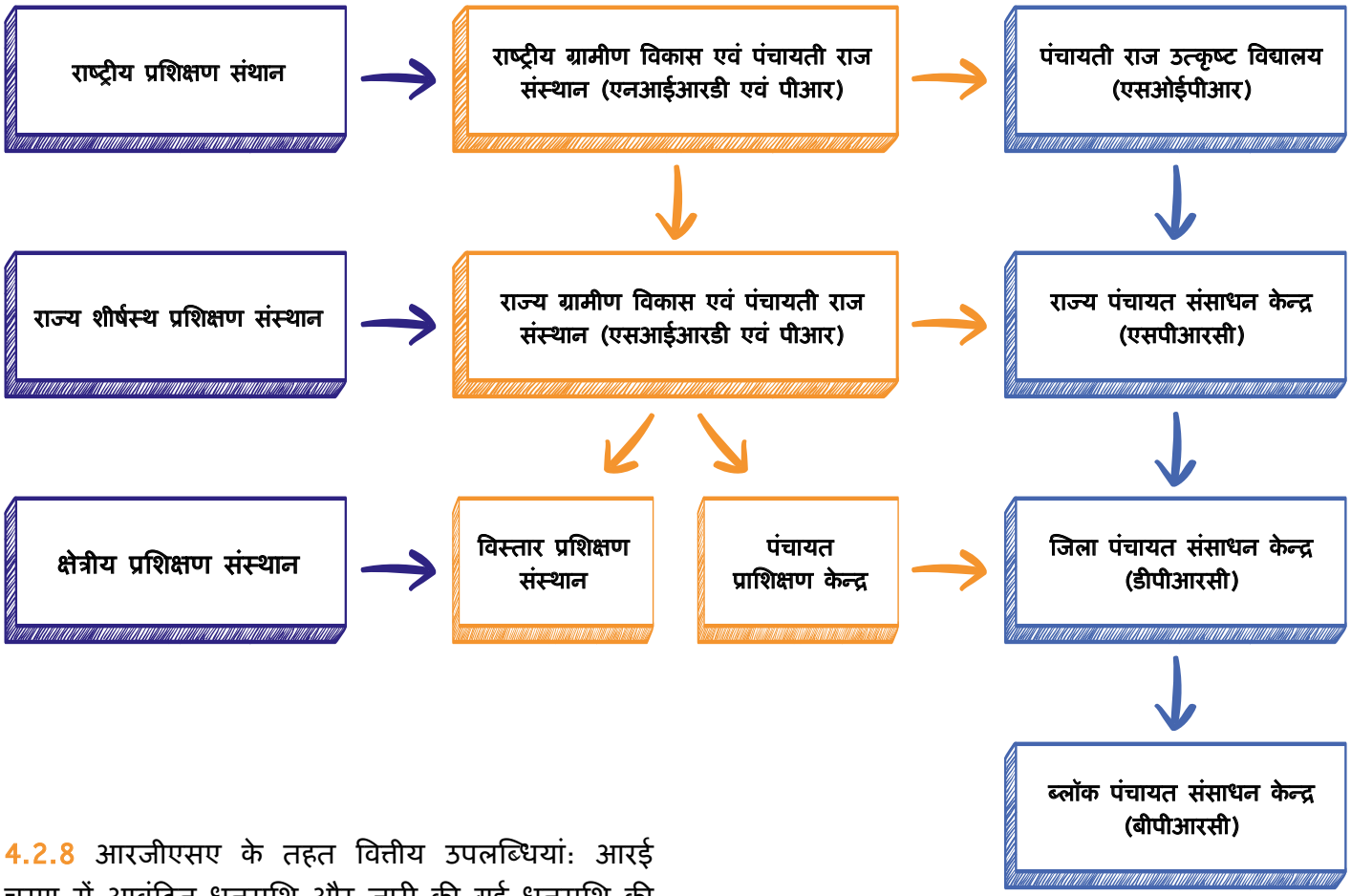

4.2.8 आरजीएसए के तहत वित्तीय उपलब्धियां: आरई चरण में आवंटित धनराशि और जारी की गई धनराशि की वर्ष-वार स्थिति नीचे तालिका 4.1 में दी गई है। हालाँकि, आरजीएसए के तहत जारी धनराशि की राज्य-वार और वर्ष-वार स्थिति अनुबंध-IV में दी गई है।

तालिका 4.1

क्र. सं.	वर्ष	आवंटित धनराशि (आरई चरण पर)	जारी की गई धनराशि	आरई आवंटन के सापेक्ष जारी की गई धनराशि का %
1	2018-19	622.41	598.27	96.12
2	2019-20	432.96	432.90	99.99
3	2020-21	499.94	499.93	100.00
4	2021-22	618.00	617.99	100.00
5	2022-23	682.98	682.98	100.00
6	2023-24	814.80	655.36*	80.43*

(राशि करोड़ रूपये में)

निधि आवंटन एवं जारी करने की वर्षवार स्थिति

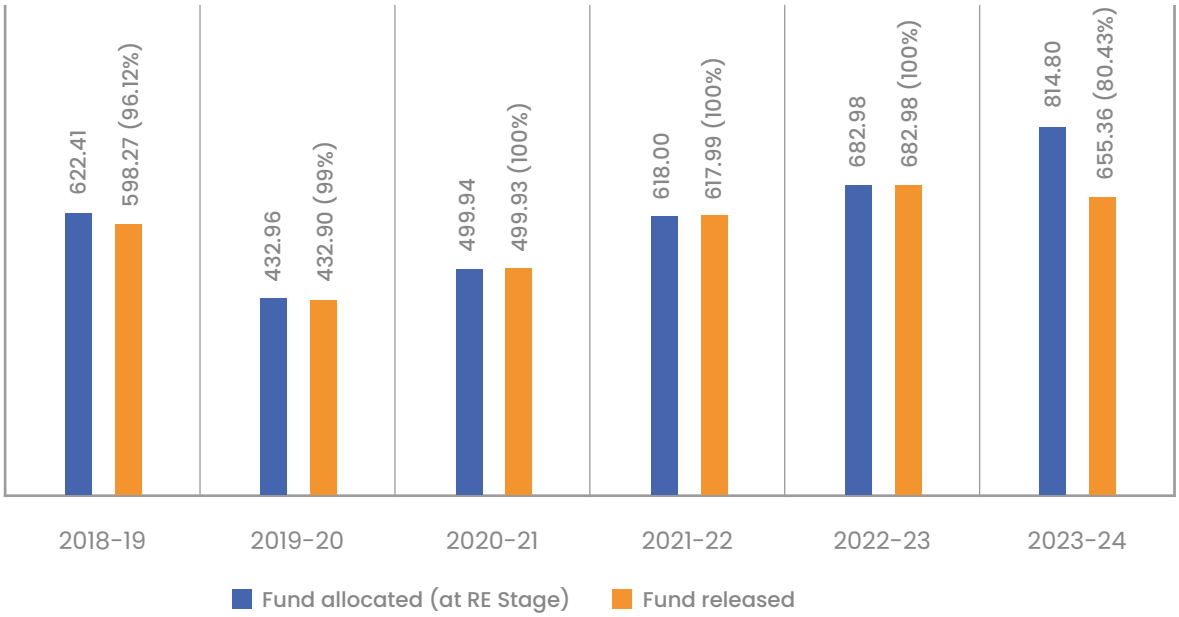

* वर्ष 2023-24 के आंकड़े दिनांक 30-12-2023 की स्थिति के अनुसार हैं

4.2.9 आरजीएसए के तहत फिजिकल/ वास्तविक उपलब्धियां: योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या की वर्षवार स्थिति नीचे चार्ट में दी गई है। हालांकि, आरजीएसए के तहत प्रशिक्षण प्रदान किए गए ईआर और पंचायत के अन्य हितधारकों की राज्य-वार स्थिति अनुबंध-V में दी गई है।

निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पदाधिकारियों और पंचायतों के अन्य हितधारकों को आरजीएसए के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया

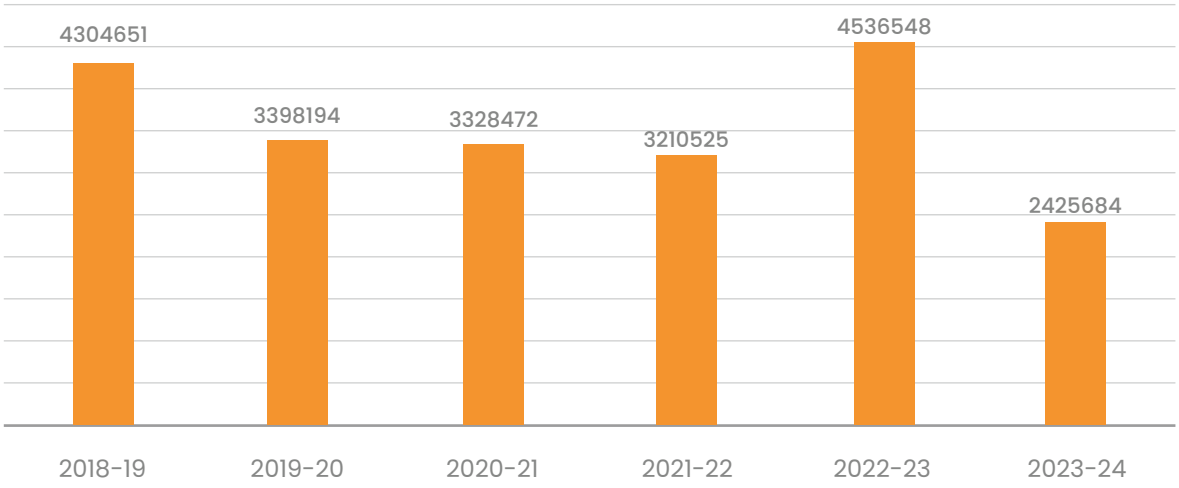

* दिनांक 31-12-2023 तक की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर अपलोड किया गया

4.3 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के तहत नवीन पहल:

4.3.1 पंचायती राज उत्कृष्टता विद्यालय (एसओईपीआर): पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण परिदृश्य को बदलने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) का स्थानीयकरण, परिपूर्णता का दृष्टिकोण अपनाने वाली विषयगत पंचायत विकास योजनाएं (पीडीपी), स्थानिक योजना, ई-गवर्नेंस, ग्राम ऊर्जा स्वराज, पीआरआई के माध्यम से आपदा प्रबंधन के लिए पहल, स्वयं के राजस्व स्रोत, कार्बन न्यूट्रल, पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई), सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता का मानकीकरण आदि शामिल हैं। इन पहलों के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, अन्य संस्थाओं, राज्य सरकार, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों से लेकर पीआरआई के ग्राहकों की विशाल संख्या के बीच गहन क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अभिविन्यास, पर्यावरण निर्माण की आवश्यकता है।

ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संस्थागत प्रणाली और मानव संसाधनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए, "एनआईआरडी एंड पीआर में पंचायती राज उत्कृष्टता विद्यालय (एसओईपीआर) की स्थापना और एसआईआरडी में मानव संसाधन का प्रावधान" नामक एक परियोजना के माध्यम से एनआईआरडी और पीआर के पंचायती राज केंद्र को मजबूत करने के लिए एमओपीआर द्वारा एक पहल की गई है।

एसओईपीआर में एनआईआरडी एंड पीआर और एसआईआरडी एंड पीआर में मानव संसाधनों के प्रावधान सहित पीआरआई के विभिन्न मौजूदा और उभरते क्षेत्रों को कवर करने वाले 9 केंद्रों की स्थापना शामिल है।

4.3.2 प्रशिक्षण हेतु मूल्यांकन मॉड्यूल: पीआरआई का प्रशिक्षण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न संस्थागत प्रणालियों के माध्यम से कैस्केडिंग मोड में आयोजित किया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण का परिणाम/मूल्यांकन संस्थाओं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होता है। इसलिए, प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए प्रणाली को मानकीकृत करने हेतु प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर एक मॉड्यूल कार्यात्मक बनाया गया है। यह प्रशिक्षण में भाग लेने वालों के सीखने के परिणामों के मूल्यांकन को सरल बनाता है। प्रशिक्षण के मूल्यांकन हेतु प्रश्न बैंक तैयार कर पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। हालाँकि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विशिष्ट प्रश्न जोड़ सकते हैं।

4.3.3 नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम:

जमीनी स्तर पर नेतृत्व क्षमता बढ़ाने और पेशेवर/प्रोफेशनल नेतृत्व कौशल को विकसित करने की दृष्टि से, मंत्रालय निर्वाचित लीडरों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम की योजना लेकर आया है। इस पहल के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने पीआरआई लीडरों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपने राज्य/आस-पास के क्षेत्रों में आईआईएम/आईआईटी/उत्कृष्ट संस्थानों के साथ सहयोग करना होगा।

मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIMA) के सहयोग से 15 से 19 जनवरी 2024 तक "रणनीतिक ग्रामीण परिवर्तन के लिए पंचायतों में नेतृत्व (LEAP-START)" नामक योजना के तहत एक परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेतृत्व और प्रबंधन विकास कार्यक्रम को संचालित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और आईआईएमए के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए।

यह 5 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य पंचायत लीडरों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है, जिससे उन्हें सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। विशेष रूप से, यह कार्यक्रम इस प्रकार की पहलों की एक श्रृंखला की शुरुआत का प्रतीक है, जो विशेष रूप से शीर्ष संस्थानों के सहयोग से पंचायती राज संस्थानों के लिए तैयार/डिज़ाइन की गई है।

4.3.4 पंचायतों की गुणवत्ता/आईएसओ प्रमाणन: पंचायतों द्वारा नागरिकों को विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी को प्राथमिक कार्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि पंचायतों में ई-गवर्नेंस की शुरुआत के साथ बढ़ने की आशा है।

पंचायतें पहले से ही गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके प्रमाणीकरण से सेवा प्रदायगी का मानकीकरण हो जाएगा। इसलिए, मंत्रालय ने विभिन्न स्तर की पंचायतों (ग्राम/ब्लॉक/जिला पंचायत) पर सेवाओं की प्रदायगी को मानकीकृत करने के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक एड्वाइजरी जारी की है। सेवाओं की मानकीकृत प्रक्रियाओं से पंचायत स्तर पर सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार होने की आशा है।

इस पहल में, 6 से 7 जुलाई, 2023 के दौरान केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (KILA), केरल में गुणवत्ता/आईएसओ प्रमाणन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस पहल के बाद, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों के गुणवत्ता/आईएसओ प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंचायतों के आईएसओ प्रमाणीकरण पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी तैयार किया गया है और राज्यों के साथ साझा किया गया है। यह मंत्रालय के पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

4.3.5 मेरी पंचायत एप्लीकेशन : एमओपीआर पंचायतों की ई-सक्षमता के लिए लगातार काम कर रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न कार्यों और प्रक्रियाओं के स्वचालन और परिवर्तन द्वारा पंचायतों में सुशासन की सुविधा के लिए चरणबद्ध तरीके से कई ई-गवर्नेंस (ऑनलाइन एप्लिकेशन और पोर्टल) पहल शुरू की गई हैं। एनआईसी द्वारा एक नया मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किया गया है जिसे मेरी पंचायत मोबाइल ऐप कहा जाता है, जिसे 21-23 अगस्त, 2023 के दौरान श्रीनगर में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय विषयगत कार्यशाला के दौरान 21 अगस्त, 2023 को लॉन्च किया गया था।

मेरी पंचायत मोबाइल ऐप का लक्ष्य एक संगठित और एकीकृत मोबाइल-आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। यह पंचायत का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करेगा और निवासियों को उनके स्मार्टफोन पर पंचायत के कामकाज के बारे में सभी जानकारियों को आसान बनाएगा और संचालन में पारदर्शिता बढ़ाएगा।

इस एप्लिकेशन को गुगल प्ले स्टोर https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meri_panchayat&hl=en&gl=US से डाउनलोड किया जा सकता है।

4.3.6 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने और गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को सक्षम बनाने की परियोजना

क. मॉडल जीपी क्लस्टर की परियोजना को आरजीएसए के तहत वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए मंजूरी दे दी गई थी, ताकि जीपी की संस्थागत मजबूती और गुणवत्ता जीपीडीपी को सक्षम करने के माध्यम से समग्र और सतत विकास प्राप्त करने के लिए पूरे भारत में 1100 जीपी को कवर करने वाले 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाए जा सकें।

ख. एनआईआरडीपीआर द्वारा एमओपीआर के समर्थन से कार्यान्वित की जा रही मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने की परियोजना का लक्ष्य, योग्य और प्रशिक्षित युवाओं के माध्यम से तकनीकी मार्गदर्शन और हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करके उनकी योजनाओं को वास्तविक रूप से लागू करने हेतु, अन्य ग्राम पंचायतों को इसका पालन करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए जीपी के संस्थागत सुदृढ़ीकरण और एसडीजी-केंद्रित गुणवत्ता जीपीडीपी की सक्षमता के माध्यम से समग्र और सतत विकास प्राप्त करने के लिए भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जीपी क्लस्टर के 250 सफल मॉडल बनाना है।

परियोजना के व्यापक उद्देश्य:

i. चिन्हित ग्राम पंचायतों को स्वशासन की मजबूत संस्थाओं के रूप में विकसित होने में सक्षम बनाना
ii. सर्वांगीण सहायता के माध्यम से चिन्हित ग्राम पंचायतों के विजन को व्यापक बनाना
iii. योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए चिन्हित ग्राम पंचायतों की सहायता करना
iv. गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी के प्रदर्शनात्मक उदाहरणों के निर्माण की सुविधा प्रदान करना
v. विभिन्न योजनाओं और संसाधनों के अभिसरण की वास्तविक समझ प्राप्त करना।

4.3.7 लिंग आधारित हिंसा से निपटने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला

यूएनएफपीए-इंडिया के सहयोग से मंत्रालय इस संबंध में जमीनी स्तर पर लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र-अधिदेशित 16-दिवसीय सक्रियता कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

लिंग आधारित हिंसा का समाधान करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित की गई थी।

इस कार्यशाला का उद्देश्य जीबीवी से संबंधित मामलों को कम करने और उनका समाधान करने में पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) की भूमिका पर चर्चा करना और एसआईआरडी और पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच जागरूकता फैलाना है ताकि जमीनी स्तर पर जीबीवी से संबंधित मामलों को कम करने और उनका समाधान करने के लिए पीआरआई के ईआर को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

अध्याय-5

पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) 2023-24 को अंतिम रूप देने और मंजूरी देने के लिए जिला कठुआ, जम्मू और कश्मीर की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा बैठकों का आयोजन।

5.1 ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी):

i. ग्राम पंचायतों को उनके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जीपीडीपी तैयार करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

ii. मंत्रालय ने जीपीडीपी के लिए मॉडल दिशानिर्देश तैयार किए और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को परिचालित किए। परिणामस्वरूप, सभी राज्यों ने जीपीडीपी के लिए अपने राज्य विशिष्ट दिशानिर्देश अधिसूचित किए। जीपीडीपी तब से राज्यों द्वारा उनके संबंधित राज्य दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती है।

5.2 विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी):

i. पंचायती राज मंत्रालय ने एसडीजी के प्रति एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है जहां 9 विषयों की पहचान की गई है। विषयगत दृष्टिकोण अपनाने से समझने में; सामुदायिक भागीदारी से पंचायतों द्वारा स्वीकृति एवं कार्यान्वयन में आसानी होगी।

ii. इनमें से प्रत्येक विषय में कई एसडीजी शामिल हैं, जिन्हें विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं में मैप किया जाता है। इसलिए, इससे संसाधनों का अभिसरण होगा और 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण अपनाते हुए पंचायत स्तर पर उनकी उपलब्धता में वृद्धि होगी।

iii. चूंकि एलएसडीजी की सभी प्रमुख पहलों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में प्रतिबिंबित किया जाना है, इसलिए, ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए 'संकल्प' पर ध्यान केंद्रित करते हुए विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए जीपीडीपी भी तैयार किया जाना चाहिए।

iv. विषयगत जीपीडीपी तैयार करने और कार्यान्वयन का मूल उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी एसडीजी लक्ष्यों को पूर्णतः पूरा करना है। इसलिए, निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया गया है:

   क. सभी प्रमुख कार्यक्रमों के तहत विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित गतिविधियों को विषयगत जीपीडीपी में शामिल किया जाना चाहिए।

   ख. पंचायतें उन विषयों पर न्यूनतम 25% अनाबद्ध/अंटाइड संसाधनों का आवंटन कर सकती हैं जिन पर पंचायत ने ग्राम सभा की मंजूरी के साथ संकल्प लिया है।

   ग. अनाबद्ध/अंटाइड संसाधनों के शेष भाग का उपयोग ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित अन्य गतिविधियों पर किया जा सकता है।

5.3 योजना वर्ष 2024-25 के लिए जन योजना अभियान (पीपीसी)-2023:

पीआरआई के विभिन्न मुद्दों पर एनआईआरडी एंड पीआर में हितधारकों के परामर्श के लिए दिनांक 4 सितंबर, 2023 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला में पीपीसी 2023 को 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में शुरू किया गया था। अभियान के दौरान, अगले वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2024-25 के लिए विषयगत जीपीडीपी तैयार करने हेतु संरचित ग्राम सभा/वार्ड सभा/महिला सभा/बाल सभा की बैठकें आयोजित की गईं।

विषयगत दृष्टिकोण को अपनाकर, एलएसडीजी के विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीपीडीपी तैयार की जानी है, जो पहले के जीपीडीपी से अलग है। इसके अलावा, व्यापक गुणवत्ता वाली जीपीडीपी तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुछ नए निर्देश भी दिए गए हैं। इसलिए, ईआर, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए गहन वातावरण निर्माण, अभिविन्यास/क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

5.4 योजना वर्ष 2018-19 से ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की स्थिति इस प्रकार है:

5.5 ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी)

संविधान में पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने का अधिदेश है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 से मध्यवर्ती पंचायतों (आईपी) या ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों (डीपी) को भी अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

बीपीडीपी और डीपीडीपी की प्रक्रिया एकीकृत पंचायत विकास योजना के लिए जीपीडीपी की आवश्यकता आधारित योजना, निर्दिष्ट/रेफरल गतिविधियों की परिकल्पना करती है। इसके अलावा, बीपीडीपी और डीपीडीपी सतत विकास लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में योगदान करने हेतु विषयगत परियोजना संचालित योजना पर भी फोकस होंगे ।

ब्लॉक/जिला पंचायत स्तर पर पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जिला और ब्लॉक विकास योजनाओं की तैयारी के लिए एक विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसका व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव है और यह पीआरआई के माध्यम से एसडीजी प्राप्त करने में सहायक है।

समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे एनआईआरडी एंड पीआर में 4-5 सितंबर, 2023 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय

ग्राम पंचायत/समकक्ष निकायों द्वारा अपलोड की गई जीपीडीपी का तुलनात्मक चार्ट

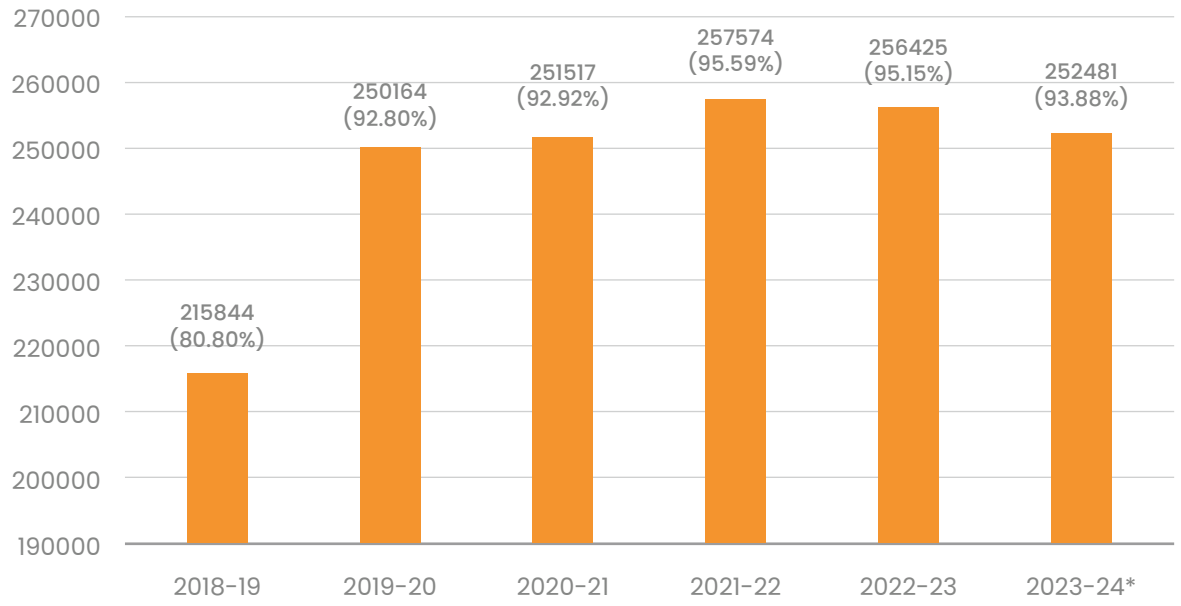

*दिनांक 31.12.2023 तक की स्थिति के अनुसार

कार्यशाला में जारी किया गया। समिति की रिपोर्ट https://gpdp.nic.in/downloadNew.html पर उपलब्ध है।

5.5.1 ईग्रामस्वराज पर अपलोड की गई ग्राम पंचायत विकास योजना, ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना की वर्षवार स्थिति इस प्रकार है:

ब्लॉक पंचायतें एवं समकक्ष की संख्या			
6921	6753	6747	6754
पोर्टल पर अपलोड बीपीडीपी की संख्या			
5034	6313	6308	5830
बीपी एवं समतुल्य अपलोड योजना का %			
72.74	93.48	93.49	86.32
2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
जिला पंचायतें एवं समकक्ष की संख्या			
675	689	679	679
पोर्टल पर अपलोड डीपीडीपी की संख्या			
566	631	601	515
डीपी एवं समतुल्य अपलोड योजना का %			
83.85	91.58	88.51	75.85

स्रोत: https://egramswaraj.gov.in/approveActionPlanData

अध्याय-6

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

सशक्त पंचायत सतत् विकास

6.1 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

6.1.1 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सभी के लिए बेहतर और अधिक सतत भविष्य प्राप्त करने का एक मूल योजना/ ब्लूप्रिन्ट हैं। सतत विकास के लिए वर्ष 2030 के एजेंडे के भाग के रूप में, 17 एसडीजी और 169 संबंधित लक्ष्यों को सितंबर, 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया और हस्ताक्षरित किया गया था।

6.1.2 भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के वर्ष 2030 एजेंडा का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है और नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संबंधित क्षेत्रों, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) आदि में विशेषज्ञता प्राप्त संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की भागीदारी के साथ बहु-आयामी कार्यनीति अपनाते हुए लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

6.2 एलएसडीजी में पंचायतों की भूमिका

6.2.1 पीआरआई को गांवों में जलापूर्ति, स्वच्छता, आंतरिक सड़कें, जल निकासी, स्ट्रीट लाइटिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण आदि सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी के लिए अधिदेशित किया गया है। संविधान की 'ग्यारहवीं अनुसूची' में सूचीबद्ध 29 विषय एसडीजी प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं।

6.2.2 तदनुसार, एमओपीआर ने एसडीजी के स्थानीयकरण पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 'पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण' पर एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की । विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट दिनांक 07.12.2021 को माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा जारी की गई।

6.3 सिफ़ारिशों की रूपरेखा:

6.3.1 समिति ने 17 एसडीजी को एलएसडीजी के 9 विषयों में एकत्रित करके विषयगत दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की, जो अधिक सार्थक है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच अपनेपन को प्रेरित करता है। सामुदायिक भागीदारी के साथ पंचायतों द्वारा आसान समझ, स्वीकृति और कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए एलएसडीजी के 9 विषयों में 17 एसडीजी शामिल हैं।

6.3.2 तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए निम्नलिखित 9 विषयगत दृष्टिकोण अपनाए हैं।

i. विषय 1: गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाला गांव
ii. विषय 2: स्वस्थ गांव
iii. विषय 3: बाल-हितैषी गांव
iv. विषय 4: जल पर्याप्त गांव
v. विषय 5: स्वच्छ और हरित गांव
vi. विषय 6: आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाला गांव
vii. विषय 7: सामाजिक रूप से न्यायसंगत और संरक्षित गांव
viii. विषय 8: सुशासन वाला गांव
ix. विषय 9: महिला-हितैषी गांव

6.4.3 इसके बाद, पंचायती राज मंत्रालय ने एसडीजी के प्रति एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है। विषयगत दृष्टिकोण अपनाकर सामुदायिक भागीदारी को समझने में; पंचायतों द्वारा स्वीकृति एवं कार्यान्वयन में आसानी होगी । इनमें से प्रत्येक विषय में कई एसडीजी शामिल हैं, जो बदले में विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं के लिए मैप किए जाते हैं। इसलिए, इससे संसाधनों का अभिसरण होगा और पंचायत स्तर पर उनकी उपलब्धता बढ़ेगी।

तालिका 6.1

नोडल और प्रमुख मंत्रालयों/विभागों के साथ विषयों की मैपिंग

विषय	मैप किए गए एसडीजी	नोडल मंत्रालय	प्रमुख मंत्रालय/विभाग
विषय 1: गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाले गांव	1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 और 15	ग्रामीण विकास	कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, मत्स्य पालन, कौशल विकास
विषय 2: स्वस्थ गांव	2 और 3	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	आयुष, महिला एवं बाल विकास, पेयजल एवं स्वच्छता
विषय 3: बाल-हितैषी गांव	1,2,3,4 और 5	महिला एवं बाल विकास	स्कूल शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पेयजल और स्वच्छता
विषय 4: जल पर्याप्त गांव	6 और 15	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि एवं किसान कल्याण, भूमि संसाधन
विषय 5: स्वच्छ और हरित गांव	6, 7, 12, 13, 14 और 15	पेयजल एवं स्वच्छता	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि एवं किसान कल्याण
विषय 6: आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाला गांव	1,2,3,4,5,6,9 और 11	पंचायती राज	ग्रामीण विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार
विषय 7: सामाजिक रूप से न्यायसंगत और संरक्षित गांव	1,2,5,10 और 16	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	ग्रामीण विकास, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, जनजातीय मामले
विषय 8: सुशासन वाला गांव	16	पंचायती राज	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार
विषय 9: महिला-हितैषी गांव	1,2,3,4,5 और 8	महिला एवं बाल विकास	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, कौशल विकास

6.5 एसडीजी के स्थानीयकरण की प्रगति

एसडीजी के स्थानीयकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सुधारों की श्रृंखला तैयार की जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, सीएसओ और अन्य के साथ मिलकर काम करना है ताकि निरंतर काम करने वाले जमीनी स्तर पर ध्यान दिया जा सके।

6.5.1 अंतर-मंत्रालयी अभिसरण: संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ कई अंतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित की गईं। एलएसडीजी को आगे बढ़ाने के लिए अभिसरण गतिविधियों के लिए राज्यों को संयुक्त एड्वाइजरी जारी की गई है। पीआरआई के माध्यम से एसडीजी प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने हेतु 26 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा संयुक्त संकल्प पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

6.5.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाएं: एसडीजी के स्थानीयकरण पर समयबद्ध सुधारों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तैयारियों के स्तर और कार्य योजना को समझने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

6.5.3 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श: एलएसडीजी में संबंधित क्षेत्रों में उनकी सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। एलएसडीजी में सहयोग के लिए एमओपीआर और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (यूनिसेफ, यूएनएफपीए, डब्ल्यूएचओ और यूएनडीपी) के बीच संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

6.5.4 विषयगत क्षेत्रों पर प्रशिक्षण सामग्री का विकास:

राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (एसएलएमटी) के प्रशिक्षण के लिए एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा विषयगत प्रशिक्षण मॉड्यूल/सामग्री तैयार की गई है। मॉड्यूल को भविष्य में जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण के व्यापक मोड के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

6.5.5 एलएसडीजी का प्रशिक्षण और विकास: संशोधित आरजीएसए के तहत वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के भाग के रूप में एलएसडीजी पर प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों का एकीकरण।

6.5.6 एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा एलएसडीजी के विषयगत क्षेत्रों पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (एसएमएलटी) का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

- एसआईआरडी के सहयोग से 14 भाषाओं में सभी 9 विषयों (विषय-वार) पर पीपीटी तैयार की गई और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई। पीपीटी विषयगत पहलुओं पर पीआरआई के उन्मुखीकरण के लिए थे।

6.5.7 अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायतों के पदाधिकारियों सहित देश भर के प्रतिभागियों के लिए परस्पर–शिक्षण हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए विषयगत राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

i. 'विषय-6:आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा' पर एसडीजी के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 22-23 अगस्त 2022 को चंडीगढ़, पंजाब में आयोजित की गई थी।
ii. 'विषय-4: जल पर्याप्त गांव' और 'विषय-5: स्वच्छ गांव' पर एसडीजी के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 22-24 सितंबर 2022 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी।
iii. 'विषय-1: गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाला गांव' पर एसडीजी के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 14-16 नवंबर 2022 को कोच्चि, केरल में आयोजित की गई थी।
iv. 'विषय-3: बाल-हितैषी गांव' और 'विषय-9: महिला-हितैषी गांव' पर एसडीजी के स्थानीयकरण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 17-19 फरवरी, 2023 को भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित की गई थी।
v. 'विषय-8: सुशासन वाला गांव' पर एसडीजी के स्थानीयकरण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 21-23 अगस्त, 2023 को श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित की गई थी।
vi. पीआरआई द्वारा 'जमीनी स्तर पर लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) का समाधान करना और कम करना' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 9 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
vii. 'विषय-2: स्वस्थ गांव' पर एसडीजी के स्थानीयकरण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 18-20 जनवरी, 2024 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित की गई थी

- आशा है कि ये कार्यशालाएं पीआरआई के माध्यम से एलएसडीजी में गति लाने के लिए बीकन/अग्रणी नेताओं/सरपंच, क्षेत्र विशेषज्ञों, संगठन/संस्थाओं के माध्यम से सूचना/विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करेंगी।
- ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए संकल्प के आधार पर परिपूर्णता दृष्टिकोण अपनाते हुए विषयगत पंचायत विकास योजना तैयार करना।
- स्थानीयकृत एसडीजी को प्राप्त करने और इस प्रकार एसडीजी 2030 को पूर्ण करने में जमीनी स्तर की संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति के मूल्यांकन और मापन के लिए पंचायत विकास सूचकांक ।

अध्याय-7

पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई)

पंचायती राज मंत्रालय ने 9 विषयगत रूपरेखाओं को अपनाते हुए समग्र सरकार और समग्र समाज की भावना का समावेश करते हुए सभी हितधारकों को सम्मिलित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण की प्रक्रिया शुरू की है।

7.2 मंत्रालय ने स्थानीय एसडीजी प्राप्त करने और इसके फलस्ववरूप एसडीजी 2030 प्राप्त करने में जमीनी स्तर की संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए, पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) शुरू किया है। यह एक समग्र सूचकांक है जो परिणाम-उन्मुख विकास लक्ष्यों के लिए स्थानीय संकेतकों के आधार पर पंचायतों के कार्य-निष्पादन की निगरानी करता है। यह पंचायतों की शक्ति और दुर्बल क्षेत्रों को उजागर करते हुए उनकी विकास की स्थिति का समग्र और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन उपलब्ध कराता है।

7.4 पंचायत विकास सूचकांक सभी हितधारकों को शामिल करते हुए सुव्यवस्थित संस्थागत तंत्र के माध्यम से विभिन्न संसाधनों को एकत्रित करके विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में स्थानीय लक्ष्य और स्थानीय कार्य बिंदु निर्धारित करने के लिए आधारभूत डेटा प्रदान करेगा। पीडीआई की आधारभूत रिपोर्ट पंचायत के परिभाषित माप संकेतकों पर वर्तमान स्थिति को दर्शाएगी जो उन्हें संबंधित विभागों और अन्य प्रमुख हितधारकों की सहायता से स्थानीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगी।

7.5 पीडीआई की तैयारी में प्राप्त स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों के नौ विषयों पर विषयगत स्कोर और ग्राम पंचायतों के समग्र पीडीआई स्कोर से स्थानीयकृत एसडीजी प्राप्त करने में उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। पीडीआई नौ विषयों के साथ-साथ समग्र पीडीआई

7.3 पंचायत विकास सूचकांक तैयार करने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रमुख मंत्रालयों, नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्य विभाग, एनआईआरडीपीआर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और अन्य क्षेत्र विशेषज्ञों के अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। मंत्रालय ने 28 जून, 2023 को नई दिल्ली में पंचायत विकास सूचकांक पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अनुशंसित संकेतकों के डेटा बिंदुओं का उपयोग करके 9 विषयों में स्कोर की गणना के लिए 577 संकेतक, 144 स्थानीय लक्ष्य और व्याख्यात्मक तंत्र की सिफारिश की गई है।

स्कोर में विकास लक्ष्यों की प्रगति में पंचायतों की तुलना करने में भी मदद करेगा।

7.6 विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त अंकों के माध्यम से वर्धित प्रगति माप उन्हें निम्नलिखित- अचीवर ए+, ए फ्रंट रनर (75 से नीचे 90); परफॉमर बी (60 से 75 से नीचे); आकांक्षी सी (40 से 60 से नीचे) और बिगनर डी (0 से 40 से नीचे) में से किसी एक में वर्गीकृत करेगा । यह सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के कार्य-निष्पादन का रिपोर्ट कार्ड होगा।

7.7 निरंतर विकास के लिए डेटा के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए डेटा संग्रह और डेटा सत्यापन में लाइन विभागों के अग्रणी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए 9 केंद्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों की संयुक्त एड्वाइजरी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए हैं।

7.8 मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा डेटा की ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए डेटाबेस प्रबंधन एप्लिकेशन के सहित मजबूत पीडीआई पोर्टल (www.pdi.gov.in) भी तैयार किया है, जो विषयगत और समग्र पीडीआई स्कोर की गणना से पूर्व विभिन्न स्तरों पर कठोर सत्यापन के अध्यधीन होगा। पीडीआई डेटा की सटीकता और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल में विभिन्न स्तरों पर डेटा सत्यापन की सुव्यवस्थित कार्यक्षमता भी है।

7.9 पीडीआई के महत्व और पीडीआई पोर्टल की विशेषताओं पर 10-11 अगस्त, 2023 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नई दिल्ली में दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य पीडीआई की समझ विकसित करना और एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में पंचायतों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए पीडीआई के उपयोग में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमता का निर्माण करना है।

7.10 राष्ट्रीय कार्यशाला के अनुक्रम में, राज्य नोडल अधिकारियों सहित राज्य नोडल विभाग; जिला एवं ब्लॉक अधिकारी; एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को मापने के लिए पीडीआई के महत्व पर तकनीकी अधिकारी और राज्य मास्टर प्रशिक्षक; विभिन्न हितधारकों की भूमिका; पीडीआई डेटा के सत्यापन तंत्र और पीडीआई पोर्टल की कार्यक्षमता के फ़्लोचार्ट पर राज्य स्तरीय कार्यशाला/ प्रशिक्षण की श्रृंखला आयोजित की गई है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को गहन व्यावहारिक सत्र भी प्रदान किया गया।

7.11 मंत्रालय ने संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न राष्ट्रीय पोर्टलों से डेटा/ मूल्य की ऑटो-पोर्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू की है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से प्राप्त ग्राम पंचायत वार ऑटो-पोर्टेड डेटा पीडीआई पोर्टल में उपलब्ध कराया गया है। क्षेत्र स्तर पर विभिन्न स्रोतों से डेटा संग्रह में सुगमता के लिए पीडीआई पोर्टल में कुल 137 डेटा पॉइंट ऑटो-पोर्ट किए गए हैं।

7.12 व्यापक योजना और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए, यह बहुआयामी सूचकांक राज्य सरकारों, संसद सदस्यों और विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति की स्थिति के बारे में जानने और उनके क्षेत्रों में विकास की योजना बनाने में योगदान देने में भी सहायक होगा।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायत पदाधिकारियों के लिए ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में पीडीआई पर कार्यशाला का आयोजन किया गया

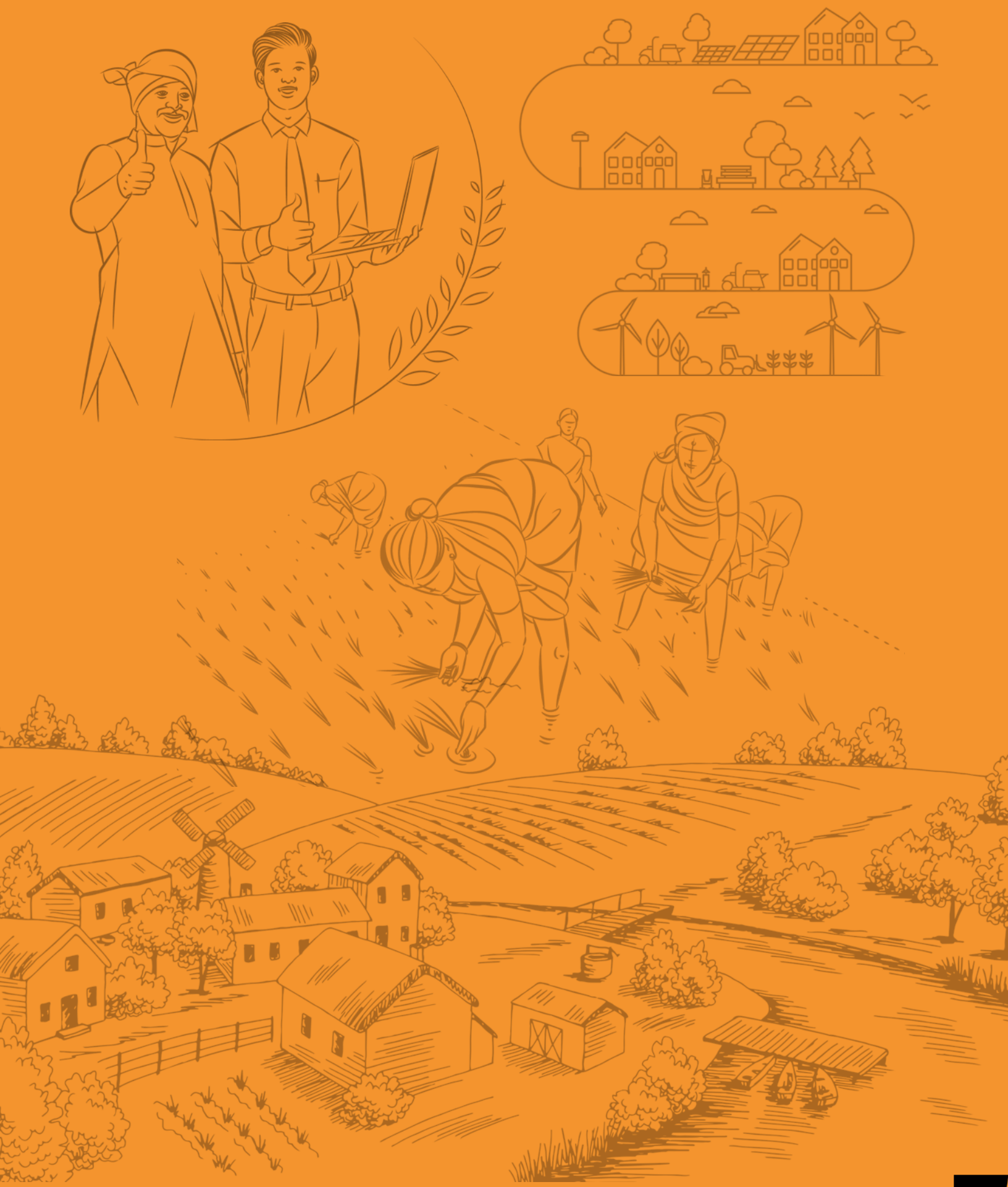

अध्याय-8

ई-गवर्नेंस और आईसीटी पहल

8.1 वर्ष 2006 में आरंभ की गई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का उद्देश्य ई-गवर्नेंस से नागरिकों को सूचना तक आसान पहुंच प्रदान करके नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के अन्य अंगों के बीच संबंधों को पुनःपरिभाषित करने का प्रयास है। इस एनईजीपी के तहत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक परियोजना के रूप में ई-पंचायत परियोजना की पहचान की गई थी।

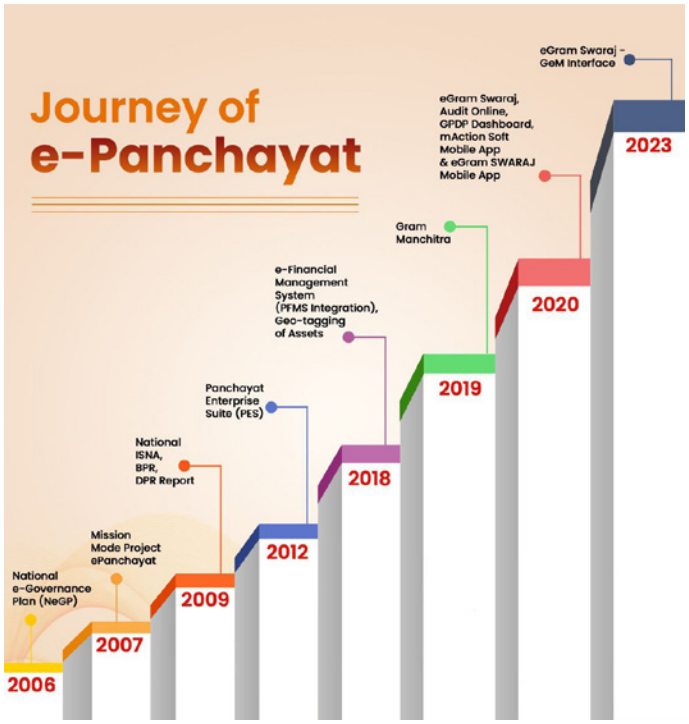

चित्र - ई-पंचायत की यात्रा

8.2 पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और अंततः ई-गवर्नेंस एप्लीकेशनों में शामिल जटिलताओं को कम करने के लिए, 24अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखांकन एप्लिकेशन, ईग्राम स्वराज (https://egramswaraj.gov.in) शुरू किया गया था। ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन के शुरू होने के बाद, ई ग्रामस्वराज - पीएफएमएस इंटरफ़ेस को न केवल पंचायतों द्वारा ई-भुगतान करने के लिए बल्कि सभी व्यय गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए उसी वर्ष संपन्न किया गया था। ई बाजार (जीईएम) के साथ ई-ग्रामस्वराज के नवीनतम एकीकरण ने पंचायत स्तर पर खरीद के लिए ईग्राम स्वराज की उपयोगिता में वृद्धि की है। यह एकीकरण भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इस इंटरफ़ेस ने सभी पंचायतों को जीईएम के माध्यम से अपनी वस्तुओं/सेवाओं की खरीद और ईग्रामस्वराज के माध्यम से निर्बाध तरीके से योजना बनाने/ भुगतान करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। इस एकीकरण से ग्रामीण मांग और आपूर्ति पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा क्योंकि राज्य स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प निर्माताओं आदि को जेम (जीईएम) में खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा पंचायतें भी लाभान्वित होंगी क्योंकि उनकी सभी खरीद पारदर्शी होंगी और मानकीकृत दरों पर की जाएंगी।

8.3 जीएस निर्णय (ग्रामीण भारत हेतु मार्गनिर्देशन,नवाचार और पंचायत निर्णयों के समाधान के लिए राष्ट्रीय पहल) मंत्रालय ने "जीएस निर्णय" नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जो ग्रामीण भारत हेतु मार्गनिर्देशन,नवाचार और पंचायत निर्णयों के समाधान के लिए राष्ट्रीय पहल है। इस ऐप को 17 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रीय पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह के दौरान लॉन्च किया गया था। ऐप का उद्देश्य ग्राम सभा के दौरान चर्चा की गई महत्वपूर्ण जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना, तथ्यों की पुष्टि करना और पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाना है। आशा है कि ऐप विकास कार्यों के दौरान सरकारी कार्यों तक पहुंच, दायरा और परिणाम को बढ़ाएगा और जमीनी स्तर पर 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

8.4 ई-सेवाएं: कई राज्यों में पंचायतें अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जन्म, मृत्यु, आय, विवाह, निवास-स्थान प्रमाण पत्र जारी करना, निर्माण और व्यापार की अनुमति और संपत्ति एवं गृह कर का प्रेषण आदि जैसी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार की गई सर्विसप्लस एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं। हालाँकि, अधिकांश राज्य लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य-विशिष्ट सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इस एप्लिकेशन का समग्र उपयोग कम हो गया है।

8.5 विभिन्न एप्लीकेशनों के कार्यान्वयन की स्थिति दिनांक 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार

ई-ग्रामस्वराज और अन्य ई-गवर्नेंस एप्लीकेशनों को अपनाए जाने की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 8.5 विभिन्न एप्लीकेशनों के कार्यान्वयन की स्थिति

एप्लीकेशन का नाम	कार्यान्वयन की स्थिति
एलडीजी (जीपी से गांव के संदर्भ में मानचित्रण स्थिति)	सभी राज्यों ने ~100% मैपिंग पूरी कर ली है.
ई-ग्रामस्वराज (मॉड्यूल वार कार्य-निष्पादन)	
योजना (अनुमोदित विकास योजना वाले पंचायतों की संख्या)	वर्ष 2023-24 के लिए 2.50 लाख ग्राम पंचायत, 5742 ब्लॉक पंचायत और 492 जिला पंचायत ने अपनी विकास योजना अपलोड कर दी है
लेखांकन (माह बहियों को बंद करने के संदर्भ में)	वर्ष 2023-24 के लिए 2.45 लाख ग्राम पंचायतों ने मासिक बही बंद कर दी है
पीएफएमएस एकीकरण	• 2.55 लाख पीआरआई ईजीएस-पीएफएमएस से जुड़े हुए हैं • 2.40 लाख पीआरआई ने ऑनलाइन भुगतान किया है • वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 39,521 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान ईजीएस-पीएफएमएस के माध्यम से विक्रेता खातों में सफलतापूर्वक जमा किया गया है। • इसके आरंभ से ईजीएस-पीएफएमएस के माध्यम से 1,72,062 करोड़ रुपये से अधिक विक्रेता भुगतान किए गए हैं।
रिपोर्टिंग*(ऑनबोर्ड पंचायतों के संदर्भ में)	वर्ष 2023-24 में, 1.16 लाख ग्राम पंचायतों ने ईजीएस पर वास्तविक प्रगति की सूचना दी।
परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग	2.50 लाख ग्राम पंचायतों ने ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पर परिसंपत्तियों को जियो-टैग किया
ऑडिट ऑनलाइन	**लेखापरीक्षा अवधि 2020-21 के लिए** • 27 राज्यों में 10,491 लेखापरीक्षक पंजीकृत हैं। • 2,60,810 ऑडिटी पंजीकृत हैं • 27 राज्यों में 2,43,283 लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार की गई हैं • 27 राज्यों में 22,10,106 टिप्पणियाँ दर्ज की गईं • 22 राज्यों में 2,21,595 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई **लेखापरीक्षा अवधि 2021-22 के लिए** • 22 राज्यों में 2,52,176 ग्राम पंचायत, 5,992 ब्लॉक पंचायत और 541 जिला पंचायत लेखा परीक्षा योजनाएं तैयार की गई हैं। • 22 राज्यों में 24,17,239 टिप्पणियाँ दर्ज की गईं • 22 राज्यों में 2,46,369 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई

8.6 सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी)

नवंबर, 2023 तक, 2.52 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने अपने क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित करने के लिए कम से कम 1 वीएलई की पहचान की है, जिनमें से 47,469 सीएससी पंचायत भवनों में अवस्थित हैं।

8.7 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महत्वपूर्ण पहल

8.7.1 मंत्रालयों का एकीकृत डैशबोर्ड (https://egramswaraj.gov.in/mprDashboard.do)

पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का एकल दृश्य प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने एक डैशबोर्ड (https://egramswaraj.gov.in/mprDashboard.do) तैयार किया है। । डैशबोर्ड सभी स्तरों के पंचायतों की प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ ही, डैशबोर्ड जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत और राज्य स्तर पर एकीकृत जानकारी भी प्रदान करता है। उपरोक्त तीन मंत्रालयों/विभागों की कुल 11 योजनाओं और कार्यक्रमों को पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का यह सारांश नीचे दिया गया है:

8.7.2 नए ई-गवर्नेंस एप्लीकेशनों/एकीकरण पर कार्यशालाएं/सम्मेलन और प्रशिक्षण सत्र:

ई-ग्रामस्वराज - जीईएम इंटरफेस पर 17 राज्यों में 1,800 मास्टर प्रशिक्षकों (लगभग) का एक पूल बनाया है और इसे प्रशिक्षित किया गया है। राष्ट्रीय सम्मेलन "मंथन", औद्योगिक परामर्श सम्मेलन 30 जनवरी, 2023 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी (क्लाउड कंप्यूटिंग), डेटा एनालिटिक्स, धोखाधड़ी की रोकथाम और जोखिम प्रबंधन, ऑटोमेशन और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र के उद्योग विशेषज्ञों को अपने संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध नवीनतम समाधान और भारत सरकार के ई-गवर्नेंस समाधानों के लिए इसकी प्रासंगिकता को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

ई-ग्रामस्वराज 2.0 (ईजीएस 2.0) पर परामर्श कार्यशाला देश भर के राज्य पंचायत राज संस्थाओं के लिए 19 और 20 जनवरी 2023 को हैदराबाद में, 10 और 11 फरवरी 2023 को गुवाहाटी में और 24 फरवरी को शिमला में आयोजित की गई थी। कार्यशाला के दौरान, मंत्रालय द्वारा राज्यों को उन बदलावों के बारे में अवगत कराया गया जो ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन (ईजीएस 2.0) को अधिक प्रयोक्तानुकूल और मजबूत बनाने के लिए इसके

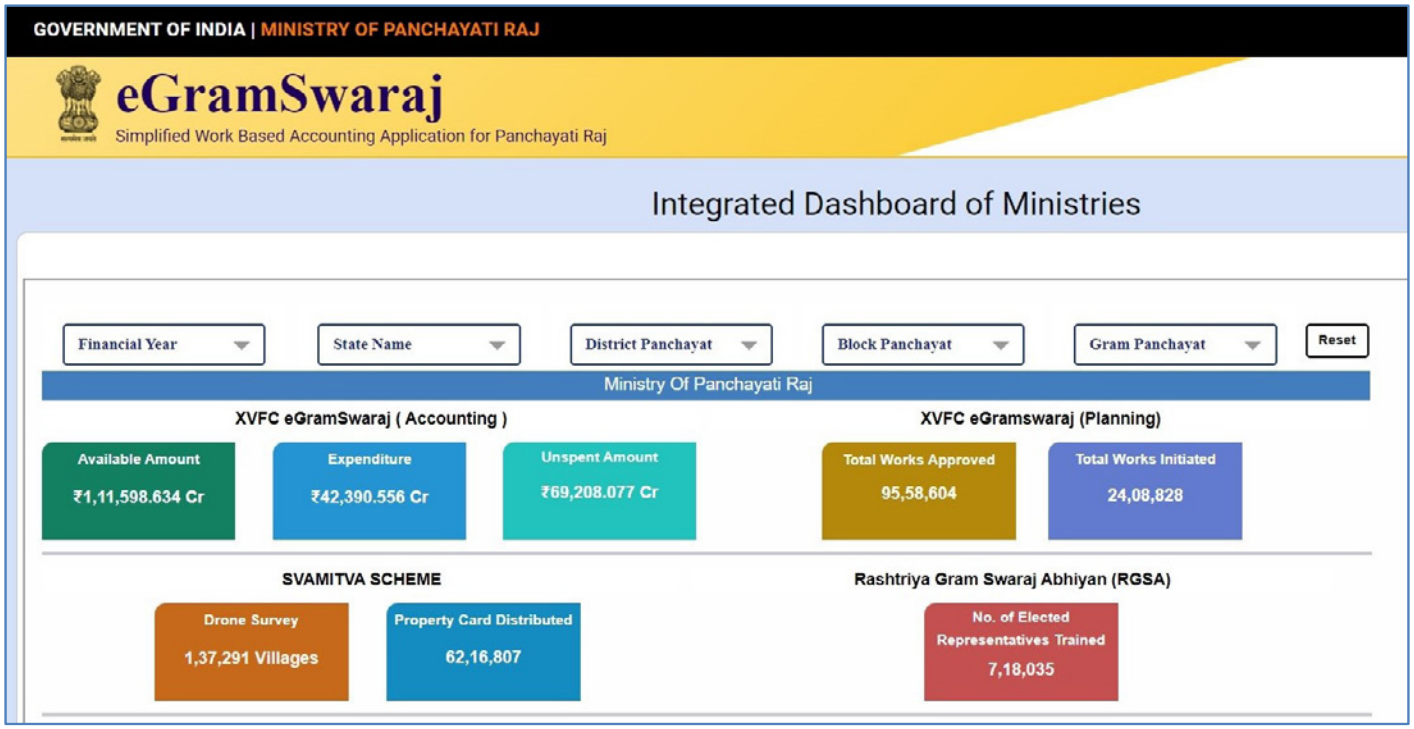

चित्र - विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड

उन्नत संस्करण में किए जाने का आशय है। कार्यशाला में मंत्रालय, राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य पंचायती राज विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

पीआरआईटी परिसर, लखनऊ में दिनांक 08 दिसंबर 2023 को एलजीडी (स्थानीय सरकार निर्देशिका) पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश राज्य से नोडल अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों (राजस्व बोर्ड, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग और जनगणना संचालन निदेशालय) ने कार्यशाला में भाग लिया। एलजीडी एप्लिकेशन में लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रतिभागियों को स्पष्ट किया गया। कार्यशाला के परिणामस्वरूप, विभागों के बीच संपर्क में सुधार हुआ। राज्य एलजीडी विसंगतियों को काफी हद तक हल करने में सक्षम था और एलजीडी पर शून्य विसंगति प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

8.8 साइबर सुरक्षा अनुपालन

8.8.1 इस मंत्रालय के आईटी पारिस्थितिकी तंत्र के साइबर सुरक्षा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एनआईसी टीम द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है

क. भारत सरकार के मानदंडों और निकनेट के दिशानिर्देशों के अनुसार नेटवर्क सुरक्षा
ख. प्रशासनिक विशेषाधिकारों का नियंत्रित उपयोग
ग. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए सुरक्षित कॉन्फ़िगरेशन
घ. मैक बाइंडिंग
ङ. मैलवेयर सुरक्षा
च. भेद्यता और पैच प्रबंधन
छ. सुरक्षित मेल पहुंच के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण
ज. पासवर्ड संरक्षित प्रणाली

8.8.2 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान साइबर सुरक्षा अनुपालन की दिशा में निम्नलिखित कार्रवाई की गई।

i. 25 अप्रचलित कंप्यूटर सिस्टम और कमजोर हार्डवेयर की पहचान की गई और उन्हें नई इकाइयों से बदल दिया गया।
ii. 05 कंप्यूटर सिस्टम को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम संस्करण के साथ अपग्रेड किया गया।
iii. लगभग 100 कंप्यूटर सिस्टम में एंटी-वायरस/मैलवेयर प्रोग्राम का नवीनतम संस्करण संस्थापित किया गया था।

केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 13 फरवरी 2024 को बिहार के बेगुसराय जिले की सभी ग्राम पंचायतों में "पीएम-वाणी" सेवा का विस्तार करने के लिए पपरौर ग्राम पंचायत, बिहार में पायलट प्रोजेक्ट 'स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति' का शुभारंभ किया।

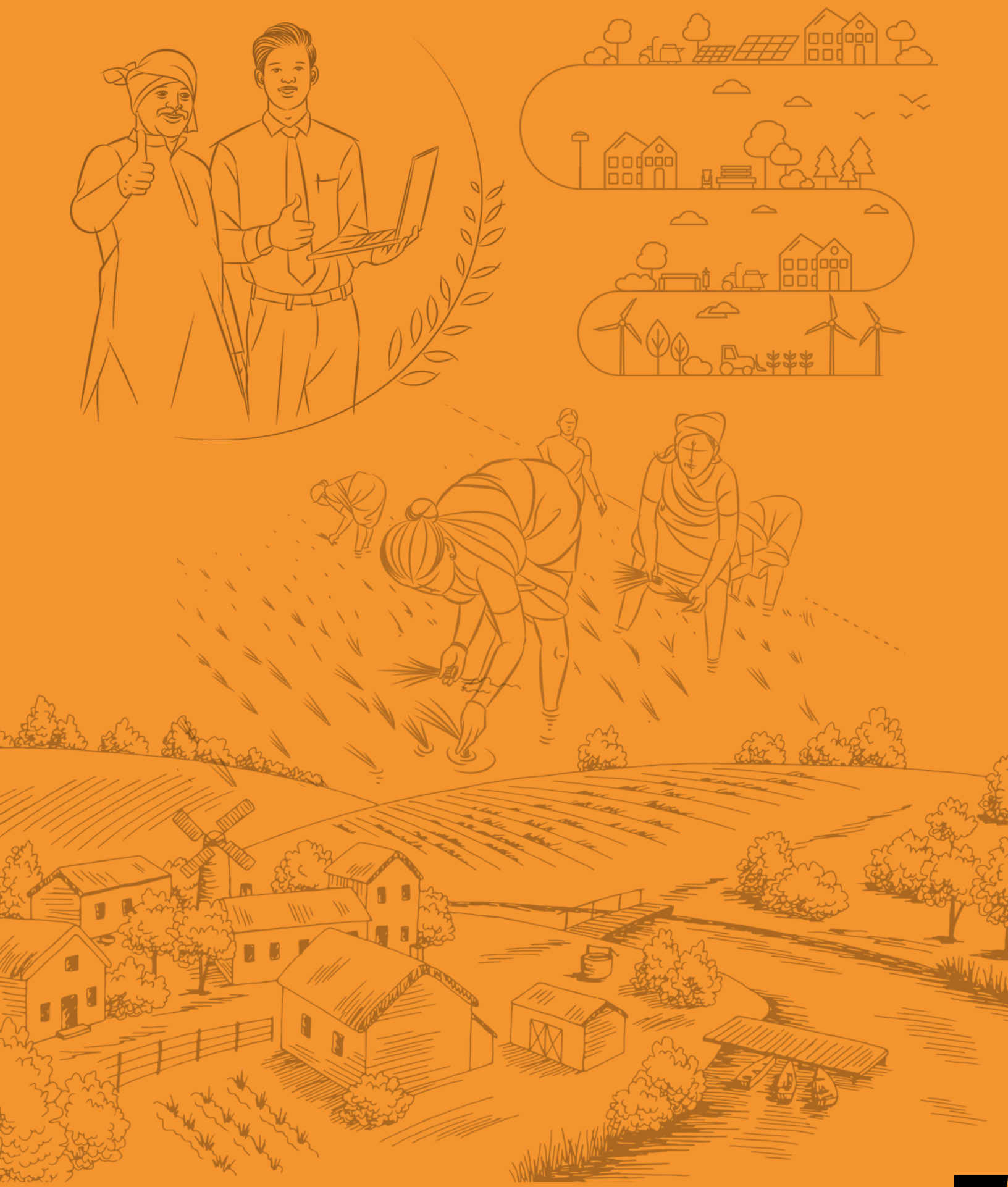

अध्याय-9

केंद्रीय वित्त आयोग - राजकोषीय हस्तांतरण

9.1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और पंचायतों/ ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) सहित उनके स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने का अधिकार देता है। संविधान के 73वें संशोधन में अनुच्छेद 280(3) (बीबी) जोड़ा गया, जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग को पंचायतों को सहायता देने के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने का प्रावधान है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद से, 10वें वित्त आयोग से लेकर केंद्रीय वित्त आयोग, इन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर पंचायतों के लिए अवार्ड की सिफारिश करते रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय को पंचायतों/ आरएलबी को केंद्रीय वित्त आयोग के राजकोषीय हस्तांतरण के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम करने के साथ-साथ निगरानी करने का भी अधिदेश प्राप्त है।

9.2 पंद्रहवां केंद्रीय वित्त आयोग (पंद्रहवां वित्त आयोग) (अवधि 2020-26)

पंद्रहवें केंद्रीय वित्त आयोग (पंद्रहवां वित्त आयोग) ने आरएलबी को अनुदान में विशिष्ट विशेषताएं पेश करते हुए अंतरिम (2020-2021) और अंतिम (2021-2026) दोनों रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। अनुदान में सभी स्तरों की पंचायतों/ आरएलबी यहां तक कि गैर-भाग IX राज्यों के पूर्व में बाहर किए गए क्षेत्रों और ब्लॉक और जिला पंचायतों के स्तरों को भी शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि लागू किए गए पंद्रहवें वित्त आयोग की तुलना में अनुदान में 48.56% की पर्याप्त वृद्धि (200,292 करोड़ रुपये से 297,555 करोड़ रुपये) की गई | पंद्रहवें वित्त आयोग आबद्ध/टाइड अनुदान और स्वास्थ्य अनुदान पर जोर देता है, पारदर्शिता के लिए डिजिटल खातों और पंचायत ऑडिट के साथ जारी धनराशियों को सुव्यवस्थित करता है, और बेहतर पंचायत वित्त के लिए राज्य वित्त आयोगों के गठन पर जोर देता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग की विशेषताएं

अनुदान का प्रकार	आबंटन	उपयोगिता का क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी
बुनियादी (अनाबद्ध/ अनटाइड) अनुदान	विकास अवधि (2020-21)-50% अवधि (2021-26) – 40%	वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत जरूरतों को महसूस किया गया।	पंचायती राज मंत्रालय
आबद्ध / टाइड अनुदान	अवधि (2020-21)-50% अवधि (2021-26) – 60%	पेयजल एवं स्वच्छता/ओडीएफ के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले फोकस क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए 50% का उपयोग किया जाना है। (पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण और स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति का रखरखाव)। यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी में पूर्णतः कार्य कर लिया है, तो वह अन्य श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है। संबंधित ग्राम सभा/ग्राम सभा को पर्यवेक्षण प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इसकी विधिवत पुष्टि प्रमाणित करनी होगी।	जल शक्ति एवं पंचायती राज मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुदान	अवधि (2021-26)-स्थानीय निकायों के लिए 70,051 करोड़ रुपये जिसमें से 43,928 करोड़ रुपये पंचायतों/आरएलबी के लिए हैं।	स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग का आवंटन 60,750 करोड़ रुपये और 2021-2026 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये है।

राज्यों में आरएलबी को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का राज्य/ वर्षवार आवंटन और जारी की गई धनराशि का विवरण अनुबंध VI में दिया गया है।

9.4 अनुदान का वितरण/निधियन पैटर्न

राज्यों के बीच कुल अनुदान का परस्पर वितरण

जनसंख्या के लिए 90:10 के आधार पर

पंचायतों के बीच अंतर-स्तरीय वितरण

- ग्राम/ग्राम पंचायतों के लिए 70-85%
- ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायतों के लिए 10-25%
- जिला/जिला पंचायतों के लिए 5-15%
- अपवाद:
- द्विस्तरीय प्रणाली वाले राज्य: ग्राम/ग्राम पंचायतों के लिए 70-85% और जिला/जिला पंचायतों के लिए 15-30%
- गैर सम्मिलित क्षेत्र में पारंपरिक निकाय: जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में

अंतर-स्तरीय वितरण

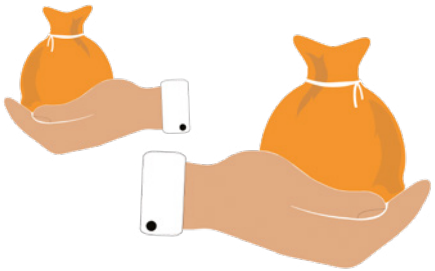

जनसंख्या एवं क्षेत्रफल अनुपात (90:10) के आधार पर अथवा नवीनतम राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार। गैर सम्मिलित क्षेत्रों में पारंपरिक निकायों के लिए, जनसंख्या और क्षेत्र अनुपात (90:10) के आधार पर वितरण पैटर्न।

9.5 अनुदान हेतु शर्तें

1. वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए: वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए कम से कम 25% आरएलबी के लेखापरीक्षित खाते।

2. वर्ष 2023-24 से: सभी आरएलबी के पास लेखापरीक्षित खाते होंगे।

चार्ट 9.1

केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान का आवंटन और जारी धनराशि

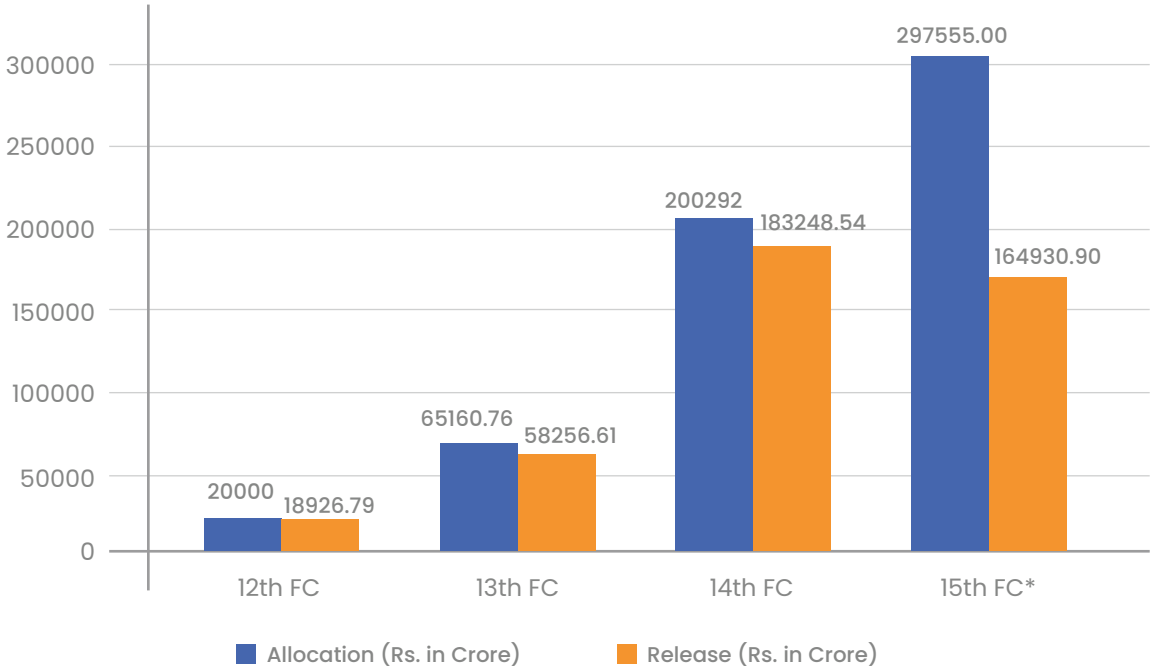

टिप्पणी: 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार 15वें वित्त आयोग की जारी धनराशि का विवरण

चार्ट 9.2

राज्यों में आरएलबी को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान का वर्ष-वार आवंटन और जारी धनराशि का विवरण (31.12.2023 की स्थिति के अनुसार)

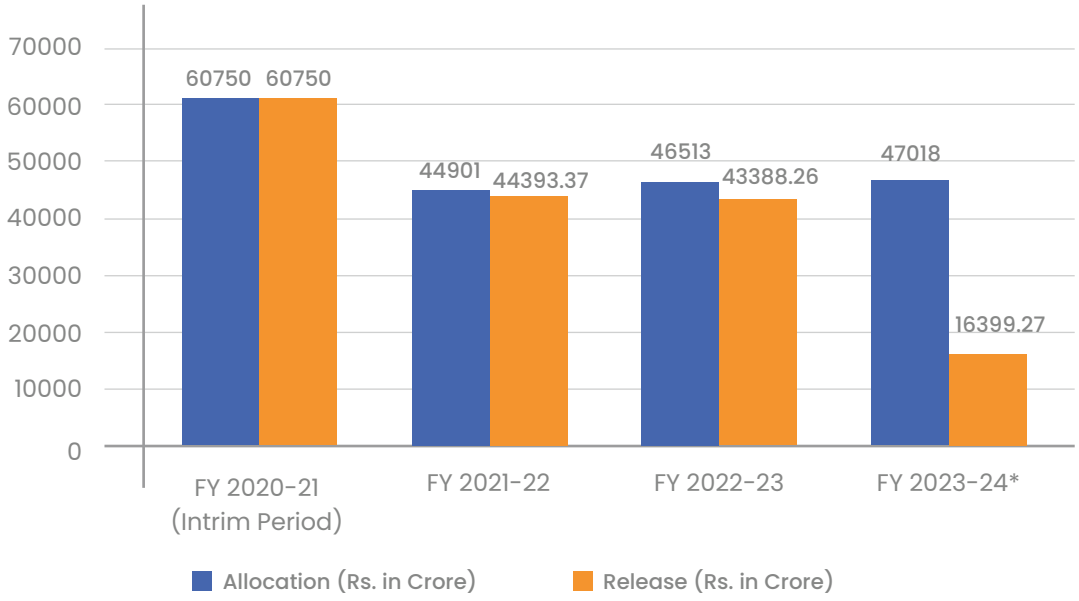

चार्ट 9.3
प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आवंटन

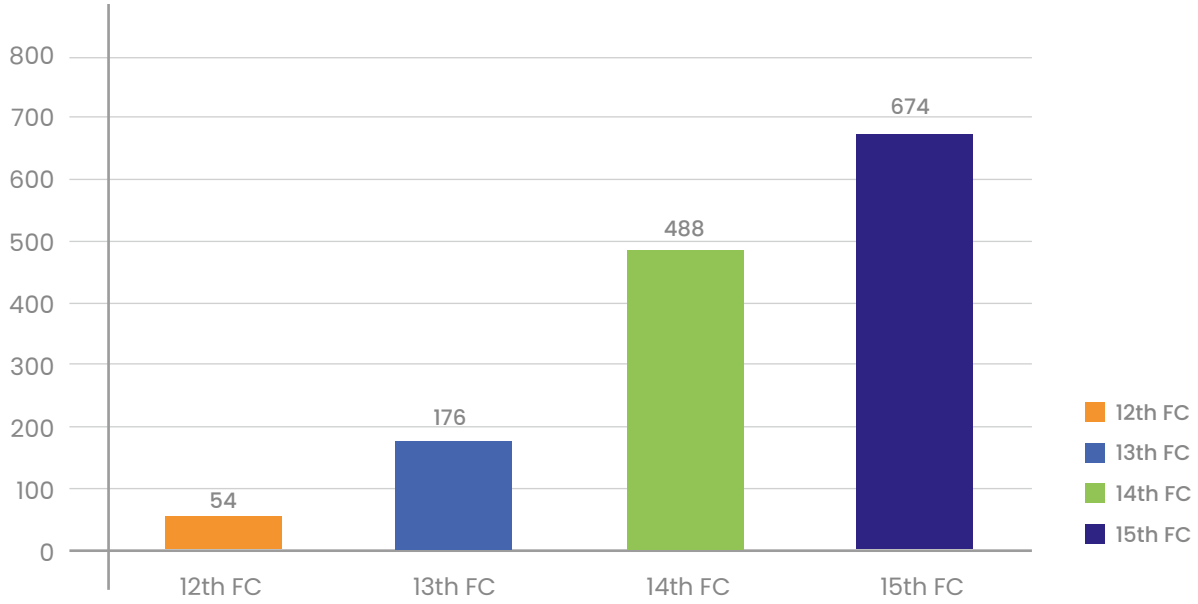

9.6 पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान को समय पर जारी करना और उसके उपयोग की निगरानी के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम

1. राज्यों के साथ नियमित बैठकें और पत्राचार
2. 'ई ग्रामस्वराज (ईजीएस)' पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से पंचायतों को जारी धनराशि, विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं के भुगतान को ट्रैक करता है।
3. वित्त आयोग अनुदान से निर्मित सभी फिजिकल परिसंपत्तियों की मोबाइल ऐप – मैक्शनसॉफ्ट के जरिए जियो-टैगिंग।
4. समय पर वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल।
5. पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग की निगरानी करने और राज्यों और आरएलबी को कार्यान्वयन के मुद्दों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में पंद्रहवें वित्त आयोग समन्वय समिति गठित की गई।

9.7 राज्य वित्त आयोग

संविधान का अनुच्छेद 243-I राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के गठन का प्रावधान करता है, जिसके विचारार्थ विषय में राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय को राज्य और पंचायतों के बीच वितरण तथा कर, शुल्क, टोल एवं फीस जो पंचायतों को राजस्व के स्वयं के स्रोतों के लिए सौंपे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकते हैं और पंचायत वित्त में सुधार के लिए पंचायतों को राज्य स्तरीय अनुदान सहायता की सिफारिश करना है।

तालिका 9.1
राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के गठन की वर्तमान स्थिति

राज्य	पिछले एसएफसी का गठन
असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु	VI
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	V
छत्तीसगढ़, मणिपुर	IV
गोवा, गुजरात, झारखंड	III
अरुणाचल प्रदेश	II
तेलंगाना	I

टांडा ग्राम पंचायत, जिला-बागपत, उत्तर प्रदेश ने केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग करके एक मॉडल शौचालय का निर्माण किया है।

9.8 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहल

आरएलबी को राजकोषीय हस्तांतरण	• राज्यों के साथ परामर्श बैठक और वीसी समीक्षा बैठकें • आरएलबी को केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के संबंध में 16वें वित्त आयोग को उपयुक्त सुझाव देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय में टास्क फोर्स का गठन किया गया; अब तक 7 बैठकें हो चुकी हैं। • आरएलबी के 'स्वयं के राजस्व स्रोत' पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को एड्वाइजरी जारी की गई।
विकास अवधि	• आरएलबी के स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट राज्यों को प्रसारित की गई और यह पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है • राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) में एक दिवसीय हितधारक परामर्श आयोजित किया गया • गैर-कर स्रोतों के माध्यम से स्वयं के स्रोत राजस्व को बढ़ाने के लिए मॉडल तैयार किया जा रहा है
विकास अवधि	पंचायती राज मंत्रालय सक्रिय रूप से 'ग्राम ऊर्जा स्वराज' को बढ़ावा दे रहा है, जिसका लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकेतकों को एकीकृत करना है। वित्तीय तंत्र सुविधाजनक बनाने पर फोकस, सौर ऊर्जा विशेषज्ञता और ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक परियोजना समर्थन पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अन्य सहित प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा की गई । मंत्रालय सभी एमएनआरई योजनाओं/कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ भी कार्य कर रहा है।
विकास अवधि	• पीआरआई के लिए मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मंजूरी के बाद जारी की गई है और राज्यों के साथ साझा की गई है। डीएमपी जमीनी स्तर पर आपदा दृढ़ता, समुदाय-आधारित योजना पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए सिफारिशें शामिल हैं। • एनआईआरडी एंड पीआर निर्वाचित पीआरआई प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित/तैयार करेगा। • मंत्रालय ने आकस्मिक बाढ़ पर एड्वाइजरी जारी की है, कार्बन तटस्थता को बढ़ावा दिया है, और पीआरआई के लिए आपदा जोखिम दृढ़ता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एनडीएमए के साथ संयुक्त रूप से चर्चा करता है।
ई ग्राम स्वराज जीईएम इंटरफ़ेस	• पंचायतों को जीईएम के माध्यम से निर्बाध खरीद के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग करने और ईग्रामस्वराज के माध्यम से योजनाओं/भुगतानों का प्रबंधन करने की सुविधा प्रदान करता है। • 8 दिसंबर, 2023 तक 22 राज्य और 72,000 से अधिक पंचायतें पहले ही इंटरफ़ेस पर पंजीकृत हो चुकी हैं।
ऑडिटऑनलाइन	• अत्यधिक पारदर्शी तरीके से पीआरआई के लेखा परीक्षा की सुविधा प्रदान करता है • कॉन्फ़िगर करने योग्य अर्थात, एप्लिकेशन को राज्यों की लेखा परीक्षा प्रक्रिया के अनुसार संशोधित/कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। • की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मॉड्यूल विकसित किया गया • भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) कार्यालय के "पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश" के अनुसार मानकीकृत लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र तैयार किया गया। • वित्त वर्ष 2022-23 का ऑडिट फिलहाल राज्यों द्वारा किया जा रहा है। 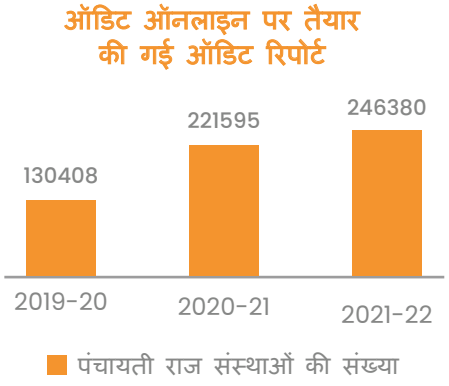

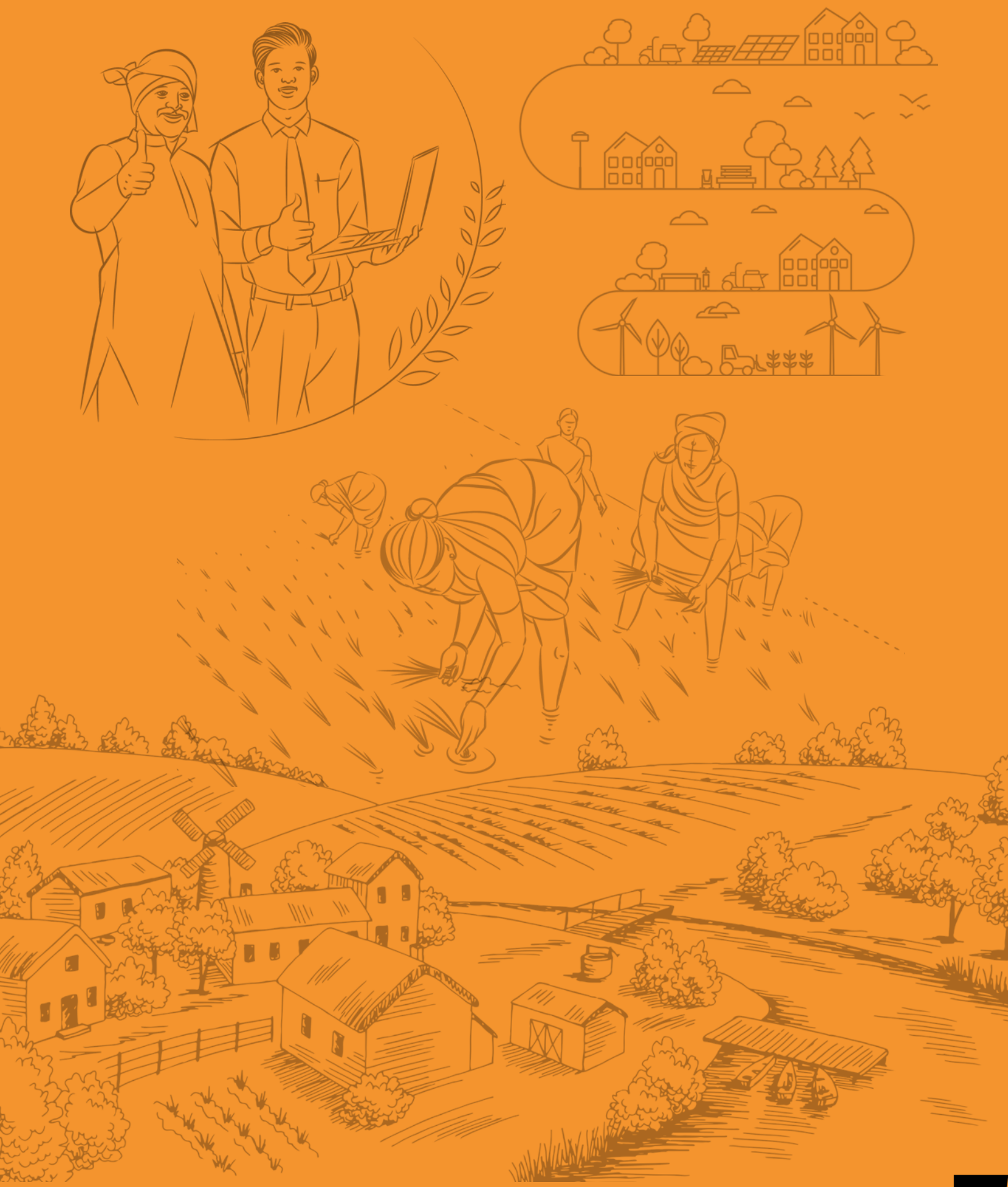

अध्याय-10

पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में गवर्नेंस

10.1 संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के साथ-साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा अन्य क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।

10.2 पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों में संविधान के भाग IX की प्रयोज्यता संबंधी संवैधानिक प्रावधान

i. संविधान का अनुच्छेद 244 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में "अनुसूचित क्षेत्र" कहे जाने वाले कुछ क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 243एम (1) अनुच्छेद 244 के खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को संविधान के भाग 9 के प्रावधानों के प्रयोज्यता में छूट देता है।

ii. तथापि, अनुच्छेद 243 एम (4) (बी) संसद को कानून बनाने और भाग 9 के प्रावधानों को खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तारित करने का अधिकार देता है, ऐसे अपवादों और संशोधनों के अध्यधीन जिन्हें ऐसे कानून में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं और ऐसे किसी भी कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा।

10.3 पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए)

पीईएसए अधिनियम, 1996 संविधान के भाग IX को कुछ संशोधनों और अपवादों सहित संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित है। वर्तमान में, पांचवीं अनुसूची क्षेत्र 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में मौजूद हैं।

10.4 पेसा अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

i. ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के पारंपरिक तरीके की सुरक्षा और संरक्षण करने के लिए "सक्षम" है। [खंड 4(डी)]

ii. ग्राम सभा के पास सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अनिवार्य कार्यकारी कार्य हैं [खंड 4(ई)(i)], गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना [खंड 4(ई)(ii)], योजनाओं के लिए पंचायत द्वारा धन के उपयोग का प्रमाण पत्र जारी करना; उपरोक्त खंड (ई) में निर्दिष्ट कार्यक्रम और परियोजनाएं [खंड 4(एफ)]

iii. उचित स्तर पर ग्राम सभा/पंचायत को विशेष शक्तियाँ: (i) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार [खंड 4(i)] (ii) उचित स्तर पर पंचायत को छोटे जल निकायों की योजना और प्रबंधन सौंपा गया है [खंड 4(जे)] (iii) खानों और खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस/पट्टे, रियायतों के लिए उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत द्वारा अनिवार्य सिफारिशें [खंड 4(के), (एल)]

iv. नशीले पदार्थों की बिक्री/उपभोग को विनियमित करने के लिए उचित स्तर पर ग्राम सभा और पंचायत को दी गई शक्तियाँ [खंड 4 (एम) (आई)], लघु वन उपज का स्वामित्व [खंड 4 (एम)(ii)], भूमि हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि को बहाल करना [खंड 4(एम)(iii)], गांव के बाजारों का प्रबंधन [खंड 4 (एम)(iv)], एसटी को धन उधार देने पर नियंत्रण [खंड 4 (एम)(v)], सामाजिक क्षेत्र में संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण, जनजातीय उपयोजनाओं और संसाधनों सहित स्थानीय योजनाएँ [खंड 4(एम) (vi) और (vii)]

तालिका 10.1

अधिसूचित पांचवीं अनुसूची क्षेत्र (एफएसए)					
राज्य का नाम	गांव	पंचायत	ब्लॉक	जिले	
				पूर्ण कवरेज	अंशतः कवरेज
आंध्र प्रदेश	1586	588	36	0	5
छतीसगढ़	9977	5050	85	13	6
गुजरात	4503	2388	40	4	7
हिमाचल प्रदेश	806	151	7	2	1
झारखंड	16022	2074	131	13	3
मध्य प्रदेश	11784	5211	89	5	15
महाराष्ट्र	5905	2835	59	0	12
ओडिशा	19311	1918	119	6	7
राजस्थान	5054	1194	26	2	3
तेलंगाना	2616	631	72	0	4
कुल	**77564**	**22040**	**664**	**45**	**63**

10.5 राज्यों में पेसा के कार्यान्वयन की स्थिति

i. 9 राज्यों ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पीईएसए 1996 के प्रावधानों को शामिल किया है।

ii. 10वें राज्य राजस्थान ने "राजस्थान पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्रों में प्रावधानों की प्रयोज्यता में संशोधन) अधिनियम 1999" अधिसूचित किया है।

iii. 8 राज्यों ने पेसा(पीईएसए) नियम बनाए: आंध्र प्रदेश, छतीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना

iv. 2 राज्यों ने पेसा(पीईएसए) नियमों का मसौदा तैयार किया: ओडिशा और झारखंड

v. सभी राज्यों ने कार्रवाई की है और पंचायती राज अधिनियमों और अपने कतिपय विषयगत विधियों को पेसा(पीईएसए) के अनुरूप बनाया है।

vi. पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा(पीईएसए) पर क्षेत्रीय सम्मेलनों/बैठकों का आयोजन किया है।

10.6 पेसा (पीईएसए) के साथ महत्वपूर्ण विषयगत कानूनों का अनुपालन: दिनांक 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार पेसा के साथ महत्वपूर्ण विषयगत कानूनों और पेसा की धारा 4 के प्रावधानों के तहत उनकी अनुपालन की स्थिति तालिका 10.2 और तालिका 10.3 में नीचे दी गई है।

तालिका 10.2

दिनांक 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार पेसा(पीईएसए) के साथ महत्वपूर्ण विषयगत कानूनों के अनुपालन की स्थिति						
पेसा राज्य	**भूमि अधिग्रहण**	**उत्पाद शुल्क**	**लघु वनोपज**	**खान एवं खनिज**	**कृषि उपज बाजार**	**धन उधार देना**
आंध्र प्रदेश *	एन	एन	एन	एन	एन	एन
छत्तीसगढ	वाई	वाई	एन	वाई	वाई	वाई
गुजरात	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
हिमाचल प्रदेश	वाई	वाई	वाई	वाई	एन	एन
झारखंड	एन	एन	वाई **	एन	एन	एन
ओडिशा	एन	वाई	वाई	वाई	एन	एन
महाराष्ट्र	वाई	एन	वाई	वाई	एन	वाई
मध्य प्रदेश	वाई	वाई	एन	वाई	वाई	एन
राजस्थान	एन	एन	एन	वाई	एन	एन
तेलंगाना	एन	एन	एन	एन	एन	एन

* आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि विषयगत कानूनों में संशोधन विचाराधीन है।
** झारखंड सरकार ने दिनांक 8.2.2007 को एमएफपी से ग्राम पंचायत को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का संकल्प लिया है।

तालिका 10.3

पेसा राज्य	पीईएसए की धारा 4 के खंडों के तहत प्रावधान														
	(डी) (संघर्ष समाधान का पंरपरागत तरीका (ग्राम सभा)	(ई) (ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रम लाभार्थियों का चयन	(च) ग्राम पंचायत को ग्राम सभा से पूर्वी प्राप्त करना होगा	(ज) (मध्यवर्ती और जिला पीआरआई में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का राज्य सरकार द्वारा नामांकन)	(i) (भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या पीआरआई से परामर्श)	(जे) (ग्राम सभा या पीआरआई द्वारा जल निकायों की योजना और प्रबंधन)	(के) (पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने से पहले ग्राम सभा या पीआरआई द्वारा सिफारिश)	(एल) (लघु खनिजों के दोहन से पहले ग्राम सभा या पीआरआई द्वारा सिफारिश)	आंध्र प्रदेश						
									(i) (नशीले पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित करें)	(ii) (खुद का एमएफपी)	(iii) (भूमि हस्तांतरण को रोकना	(iv) (ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन)	(v) (धन उधार देने पर नियंत्रण रखना)	(vi) (सामाजिक क्षेत्र के संस्थाओं और पदाधिकारियों को नियंत्रित करना)	(vii) (टीएसपी सहित योजनाओं पर नियंत्रण)
आंध्र प्रदेश	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
छतीसगढ़	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
गुजरात	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
हिमाचल प्रदेश	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
झारखंड	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	एन	एन	एन	वाई	एन	वाई	वाई
ओडिशा	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
महाराष्ट्र	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
मध्य प्रदेश	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	एन	एन	एन	वाई	एन	वाई	वाई
राजस्थान	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
तेलंगाना	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई

स्रोत: राज्यों से एकत्रित आंकड़ों/राज्यों के आधिकारिक वेब पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार।
'वाई' यह दर्शाता है कि प्रावधान पीईएसए के अनुरूप बना लिए गए हैं।
'एन' यह दर्शाता है कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है।

10.7 पेसा के सुदृढ़िकरण पर क्षेत्रीय कार्यशाला

10.7.1 पेसा के सुदृढ़ीकरण पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन 11-12 जनवरी 2024 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में पांच राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने पेसा के माध्यम से क्षेत्रीय शासन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। विचार-विमर्श प्रमुख विषयों पर केंद्रित था, जिसमें ग्राम सभाओं की प्रभावशीलता, लघु वन उपज और खनिजों का प्रबंधन और पेसा कार्यान्वयन को मजबूत करने में गैर-सरकारी हितधारकों की भूमिका शामिल थी।

10.7.2 क्षेत्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पेसा अधिनियम को लागू करने में राज्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करना और जमीनी स्तर पर इसके प्रभाव पर एक आम दृष्टिकोण विकसित करना था। सम्मेलन का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के सतत विकास के लिए पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन को बढ़ाने पर भाग लेने वाले राज्यों के बीच सहयोग और चर्चा को बढ़ावा देना था।

10.7.3 इसी श्रृंखला में पेसा के सुदृढ़ीकरण पर दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन 4-5 मार्च 2024 को रांची, झारखंड में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

अध्याय-11

स्वामित्व
(आबाद ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण)

11.1 स्वामित्व दिनांक 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य गांवों के आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गृह स्वामियों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है।

11.2 योजना की आवश्यकता

भारत में निपटान और अधिकारों के रिकॉर्ड के लिए ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण कई दशक पहले पूरा किया गया था और इसके अलावा, कई राज्यों में गांवों के आबादी (आबादी) क्षेत्र का सर्वेक्षण/मानचित्रण नहीं किया गया था। इसलिए, कानूनी दस्तावेज के अभाव में, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिक ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा स्वीकार्य वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, गृह स्वामियों को संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए, भूमि पार्सल के सीमांकन और डिजीटल मानचित्र तैयार करने के लिए नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) तकनीक का लाभ उठाने की आवश्यकता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) ने 5 सेमी सटीकता की बहुत उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली हवाई छवियां प्राप्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित की हैं और ड्रोन का उपयोग करके 1:500 पैमाने पर अबादी क्षेत्रों के बहुत बड़े पैमाने पर मानचित्र प्रदान करते हैं।

11.3 योजना का उद्देश्य

- ग्रामीण योजना के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना
- ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना
- संपत्ति कर का निर्धारण, जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है अन्यथा राज्यकोष में शामिल किया जाएगा
- सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है
- जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना

11.4 कार्यान्वयन और कवरेज की अवधि

संपूर्ण कार्य के पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020- 25) की अवधि में विस्तारित होने की संभावना है। इस योजना में 31 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के सभी बसे हुए गाँव शामिल हैं जिन्होंने योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेशों लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। योजना हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, गोवा और अंडमान-निकोबार द्वीप में पूरी हो गई है।

11.5 दिनांक 31.12.2023 तक स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति:

1. 2.92 लाख गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है।

24 अप्रैल 2023 को रीवा, मध्य प्रदेश में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा संपत्ति कार्ड वितरण

अरूणाचल प्रदेश में ड्रोन सर्वेक्षण की कार्वाही

2. ड्रोन उड़ान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में संतृप्त हो गई है।
3. =योजना को हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संतृप्त किया गया है।
4. 1.08 लाख गांवों के लिए लगभग 1.73 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
5. राज्यवार प्रगति अनुबंध VII में उपलब्ध है

11.6 स्वामित्व योजना के लिए मंत्रालय को पुरस्कार और मान्यता

स्वामित्व योजना के तहत पहल के लिए, मंत्रालय को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

- ई-गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार: स्वामित्व योजना ने अक्टूबर, 2023 में इंदौर, मध्य प्रदेश में डीएआरपीजी द्वारा आयोजित नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग में स्वर्ण पुरस्कार जीता।
- डिजीटेक कॉन्क्लेव 2023: अगस्त 2023 में गोवा में आयोजित डिजीटेक कॉन्क्लेव 2023 में डिजिटल परिवर्तन के लिए ई-गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग के लिए स्वामित्व योजना को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया।

11.7 पहलें

1. विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण आउटरीच के लिए शामिल 16 योजनाओं और कार्यक्रमों में से, SVAMITVA योजना को अभियान एजेंडे के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है, जिसके तहत जिलों में नागरिकों, पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन की भागीदारी के साथ आईईसी अभियान, संपत्ति कार्ड वितरण जैसे विभिन्न कार्यक्रम और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
2. अगस्त 2023 में बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (बीआईआरडी), लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्वामित्व संपत्ति कार्ड की बैंक योग्यता पर एक गोलमेज चर्चा आयोजित की गई थी।
3. नेशनल जियोस्मार्ट इंडिया 2023 सम्मेलन, हैदराबाद 15-16 अक्टूबर 2023 को नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (इसरो) प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में आयोजित किया गया था, इसके बाद 17-19 अक्टूबर 2023 को एचआईसीसी, हैदराबाद में पंचायती राज मंत्रालय और जियोस्पेसियल वर्ल्ड के सहयोगात्मक प्रयासों से जियोस्मार्ट इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया था।

11.8 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समर्थन

माननीय प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2023 को रीवा, मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत तैयार 35 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए।

संपत्ति कार्ड वितरण के चित्र

लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2023) के अवसर पर संपत्ति कार्ड का वितरण

मिजोरम में सपत्ति कार्ड का वितरण

विकसित भारत संकल्प यात्रा (दिसंबर 2023) के अवसर पर राजस्थान में संपत्ति कार्ड का वितरण

अध्याय-12

पुरस्कारों के माध्यम से पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण

(राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार)

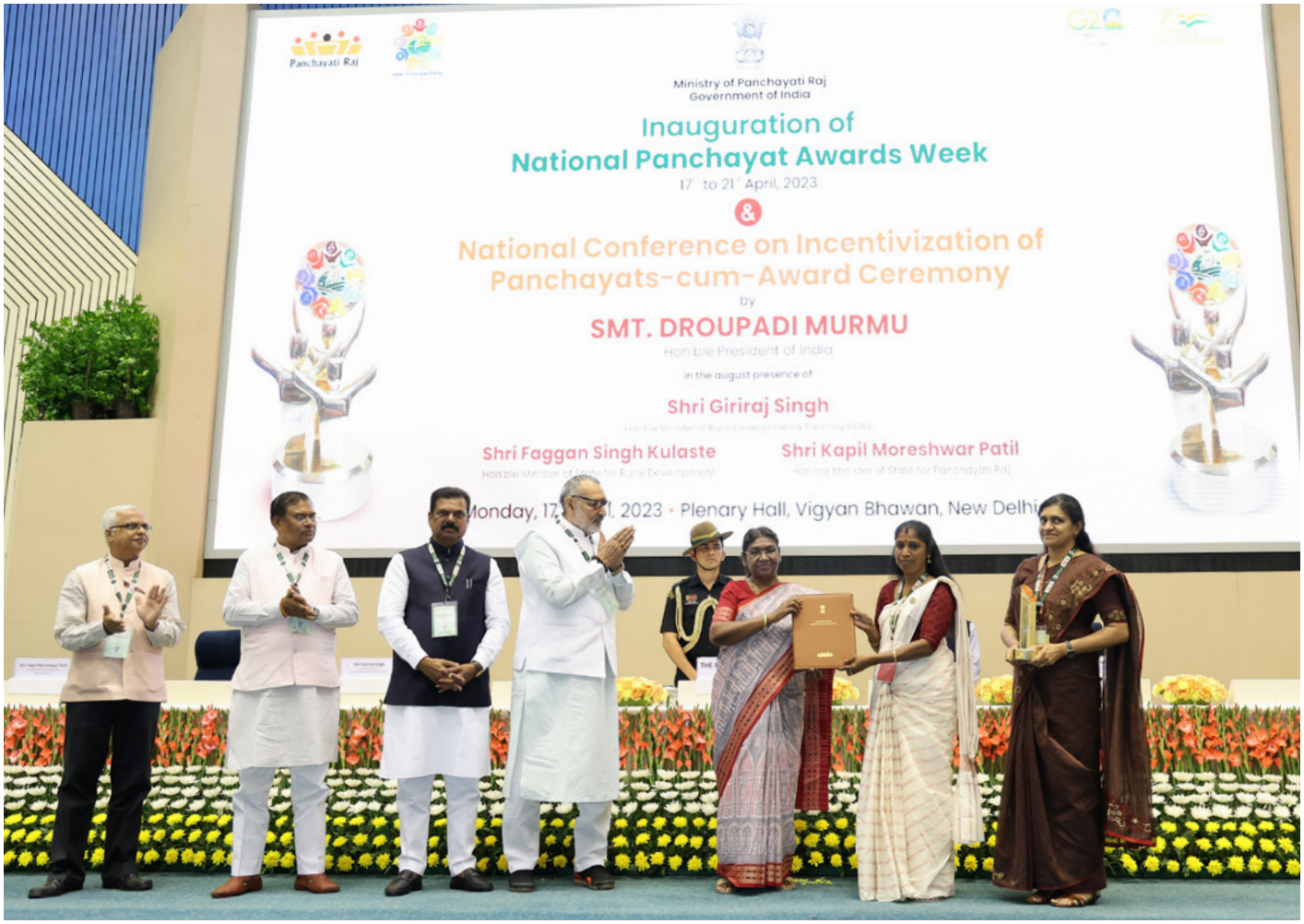

12.1 पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को हर साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करता है जो स्थानीय स्तर पर विकास में उनके प्रयासों को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत है। ये पुरस्कार आमतौर पर हर साल 24 अप्रैल को प्रदान किए जाते हैं, जिसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

12.2 वर्ष 2030 तक समयबद्ध तरीके से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के प्रति संतृप्ति और लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण के रूप में, एमओपीआर ने 17 एसडीजी को एसडीजी (एलएसडीजी) विषयों के 9 स्थानीयकरण में शामिल किया है। तदनुसार, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2023 से एलएसडीजी के साथ संरेखित करते हुए संशोधित किया है। एनपीए 9 एलएसडीजी आधारित विषयों अर्थात् (i) गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाली पंचायत (ii) स्वस्थ पंचायत (iii) बाल-हितैषी पंचायत (iv) जल पर्याप्त पंचायत (v) स्वच्छ और हरित पंचायत (vi) पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा (vii) सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत (viii) सुशासन वाली पंचायत और (ix) महिला-हितैषी पंचायत के तहत प्रदान किए जाते हैं।

12.3 9 विषयों के अलावा, पंचायती राज मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) को विशेष श्रेणियों के पुरस्कार यानी (1) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और उपयोग के संबंध में उनके प्रदर्शन के लिए ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार और (2) कार्बन न्यूट्रल विशेष शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में अनुकरणीय कार्य के लिए पंचायत पुरस्कार भी प्रदान करता है।

12.4 संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की श्रेणियाँ और पुरस्कार राशि की मात्रा

पंचायतों की विभिन्न श्रेणियों और स्तरों के तहत पुरस्कार राशि जो 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक थी, उसे संशोधित कर 50 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। पंचायत को देय श्रेणीवार पुरस्कार राशि निम्नलिखित तालिका 12.1 में दी गई है

तालिका- 12.1

क्र. सं.	श्रेणी	विवरण	पुरस्कार राशि (करोड़ रुपये में)
1	दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (डीडीयूपीएसवीपी)	9 पुरस्कार विषयों में से प्रत्येक के अंतर्गत शीर्ष 3 ग्राम पंचायतें	प्रथम: 1.00; द्वितीय: 0.75; तृतीय: 0.50
2	नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार (एनडीएसपीएसवीपी)	सभी मिश्रित विषयों के अंतर्गत उच्चतम औसत स्कोर वाले शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ जीपी, बीपी और डीपी के लिए	(रैंक के अनुसार: प्रथम; द्वितीय; तृतीय) जीपी: 1.50 ; 1.25 ; 1.00 बीपी: 2.00; 1.75 ; 1.50 डीपी: 5; 3; 2
विशेष श्रेणियाँ			
3	ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार	ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और उपयोग के संबंध में उनके प्रदर्शन हेतु 3 ग्राम पंचायतों के लिए	प्रथम: 1.00; द्वितीय: 0.75; तृतीय: 0.50
4	कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार	नेट-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में 3 ग्राम पंचायतों के लिए	प्रथम: 1.00; द्वितीय: 0.75; तृतीय: 0.50
5	पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार	3 संस्थाओं के लिए जिन्होंने एलएसडीजी प्राप्त करने में जीपी को संस्थागत सहायता प्रदान की है	प्रथम: 1.00; द्वितीय: 0.75; तृतीय: 0.50
6	नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार	एक ग्राम पंचायत जो अर्हता प्राप्त करती है और बाद के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए चयनित होती है	कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं; केवल प्रशस्ति पत्र
7	सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी (राज्य/जिला)	ग्राम पंचायत से भागीदारी के उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (>90%)	कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं; केवल प्रशस्ति पत्र

12.5 प्रतियोगिता का स्वरूप

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रतियोगिता ब्लॉक, जिला राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर एक पिरामिडीय और बहु-स्तरीय है। डीडीयूपीएसवीपी के लिए, ग्राम पंचायतें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) पर ऑनलाइन विषयगत प्रश्नावली के 113 प्रश्नों के उत्तर भरती हैं। तदनुसार, शीर्ष 3 रैंकिंग जीपी/समकक्ष निकायों को संबंधित स्तर पर विषयगत चयन समितियों द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उनकी जांच और मूल्यांकन के बाद उच्च स्तर के लिए नामांकित किया जाता है। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पंचायतों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर के पुरस्कार विजेताओं को नकद राशि या अन्य रूप में सम्मानित और पुरस्कृत कर सकते हैं। एनडीपीएसवीपी और विशेष श्रेणियों के पुरस्कारों को मंत्रालय द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है और यह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से सीधे नामांकन के आधार पर होता है। पुरस्कार पोर्टल पर राज्यों और पंचायतों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया उपलब्ध है।

पुरस्कार पोर्टल पंचायतों द्वारा पुरस्कारों के लिए आवेदन करने और विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, जिला और ब्लॉक) पर उन्मुखीकरण और प्रश्नावली भरने की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

12.6 पुरस्कार अभिनंदन समारोह एवं प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार आमतौर पर माननीय राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को प्रदान किए जाते हैं, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की स्मृति में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ। पुरस्कार राशि पुरस्कार प्राप्तकर्ता पंचायतों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रमाणीकृत बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाती है।

12.7 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 (मूल्यांकन वर्ष 2021-22)

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत लगभग 2.48 लाख ग्राम पंचायतें (92.06%) सफलतापूर्वक प्रतिभाग कर रही हैं, जबकि इससे पहले लगभग 20 हजार ग्राम पंचायतें ही प्रतिभाग करती थीं। यह उपलब्धि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और पंचायतों के उल्लेखनीय प्रयासों और उनके बीच एलएसडीजी पर पैदा हुई जागरूकता को दर्शाती है। इससे यह आकांक्षा पैदा होती है कि देश विषयगत दृष्टिकोण के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से एसडीजी के 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर है।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 दिनांक 17 अप्रैल, 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 46 पंचायतों (42 प्रोत्साहन आधारित पुरस्कार और 4 केवल प्रमाणपत्र आधारित पुरस्कार) को प्रदान किए गए। प्रदान किए गए पुरस्कारों की संख्या का राज्य-वार समेकित विवरण अनुबंध VIII में दिया गया है।

अध्याय-13

कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन

13.1 "एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी" योजना का कार्य अनुसंधान घटक, जिसे संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) में शामिल किया गया है, यह पंचायती राज के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन शुरू करने के लिए अनुसंधान और मूल्यांकन में विशेष अनुभव रखने वाले शैक्षणिक संस्थाओं / गैर सरकारी संगठनों / अनुसंधान संगठनों / पंजीकृत सोसायटियों / गैर-लाभकारी संगठनों / एसआईआरडी और पीआर को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये अध्ययन देश भर में पंचायती राज में दीर्घकालिक मुद्दों, प्रभावों और अनुभव का गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं। एआर एंड आरएस के माध्यम से, मंत्रालय पीआरआई को प्रभावित करने वाले क्रॉसकटिंग नीतिगत मुद्दों की पहचान करने के लिए बौद्धिक प्रयासों का समर्थन करता है और इन निष्कर्षों को राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों तक पहुंचाता है। अध्ययन मौजूदा योजना दिशानिर्देशों में कमियों को दूर करने और नए दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करते हैं। उक्त घटक में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं या गतिविधियों के प्रकार में शामिल हैं:

क. विभिन्न पहलुओं में पंचायतों की स्थिति का आकलन करने के लिए अनुसंधान अध्ययन और सर्वेक्षण।
ख. नीतिगत पहलुओं और उनके प्रभाव का विश्लेषण करने, समवर्ती मूल्यांकन और भविष्य के उपायों का सुझाव देने के लिए अनुसंधान अध्ययन।
ग. कार्यक्रम मूल्यांकन।
घ. सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाने की दृष्टि से पायलट योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कार्य अनुसंधान।
ङ. जन संचार के पारंपरिक रूपों के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसारित करने के लिए "एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी" के तहत मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए/शुरू किए जाने वाले अभियानों के प्रभाव का आकलन करना, ताकि जमीनी स्तर पर पंचायतों से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जा सके।

13.2. वर्ष 2023-24 के दौरान, इस घटक के तहत 2.67 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 0.79 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक किया जा चुका है।

13.3. हर साल, मंत्रालय चिन्हित विषयों के आधार पर अध्ययन को मंजूरी देता है। तदनुसार, चिह्नित विषयों के आधार पर, मंत्रालय निम्नलिखित तीन नए अध्ययनों को अवार्ड करने की प्रक्रिया में है:

क. स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) के सृजन के लिए एक व्यवहार्य वित्तीय मॉडल तैयार करना।
ख. वर्ष 2022-23 से लागू की जा रही संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का मूल्यांकन।
ग. कार्य अनुसंधान - जीपी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीयकृत करने के लिए - चरण I - जीपी स्तर पर जलवायु लचीलेपन के लिए पारिस्थितिक संतुलन की सुविधा प्रदान करना।

13.4. इसके अलावा, निम्नलिखित अध्ययन जारी हैं:

क्र. सं.	पुरस्कृत संस्थान/संगठन का नाम	अध्ययन का शीर्षक
1	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली।	पंचायतें और विवाद समाधान
1		सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग विकसित/तैयार करने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए देश में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पीआरआई को शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण की स्थिति का क्षेत्रीय आकलन।
1	सुशासन केंद्र (सीजीजी), हैदराबाद।	पंचायतों और संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच संपर्क को मजबूत करना।
1	केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (KILA), त्रिशूर, केरल।	देश के गैर-भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय शासन प्रणाली की वर्तमान स्थिति।

अनुबंध

I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII

अनुबंध - I

ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243जी)

1. कृषि, कृषि विस्तार सहित
2. भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबन्दी एवं मृदा संरक्षण
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं वाटरशेड विकास
4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गीपालन
5. मत्स्य पालन
6. सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी
7. लघु वनोपज
8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग
9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण आवास
11. पेय जल
12. ईंधन और चारा
13. सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन
14. बिजली वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण।
15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17. शिक्षा, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं
18. तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा
19. प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय
21. सांस्कृतिक गतिविधियां
22. बाज़ार और मेले
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय हैं
24. परिवार कल्याण
25. महिला एवं बाल विकास
26. सामाजिक कल्याण, जिसमें विकलांगों और मानसिक रूप से कमजोर वर्गों का कल्याण भी शामिल है
27. कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29. सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव

अनुबंध - II

दिनांक 31.01.2024 तक की स्थिति के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली में कार्मिकों की संख्या/स्ट्रेन्थ

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	तैनात	रिक्त पद	वेतन स्तर	समूह क /ख /ग	राजपत्रित/ अराजपत्रित
1.	सचिव	1	1	0	17	क	राजपत्रित
2.	अपर सचिव	1	1	0	15	क	राजपत्रित
3.	संयुक्त सचिव (इन-सीटू सहित)	3	4	0	14	क	राजपत्रित
4.	आर्थिक सलाहकार	1	1	0	14	क	राजपत्रित
5.	निदेशक/डीएस(केंद्रीय प्रतिनियुक्ति-3, सीएसएस-2)	5	4	1	13, 12	क	राजपत्रित
6.	संयुक्त निदेशक/निदेशक (आईईएस)	1	1	0	13	क	राजपत्रित
7.	संयुक्त निदेशक/निदेशक (आईएसएस)	1	1	0	13,12	क	राजपत्रित
8.	उप निदेशक/एडी (आईईएस)	1	1	0	11	क	राजपत्रित
9.	उप निदेशक (राजभाषा)	1	1	0	11	क	राजपत्रित
10.	अवर सचिव	8	8	0	11	क	राजपत्रित
11.	पीएसओ/वरिष्ठ पीपीएस(2)/पीपीएस(5)	7	7	0	13/12/11	क	राजपत्रित
12.	अनुसंधान अधिकारी	1	0	1	10	क	राजपत्रित
13.	सहा. निदेशक (राजभाषा)	1	1	0	10	क	राजपत्रित
14.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	2	0	10/9	ख	राजपत्रित
15.	ए.ए.ओ.	1	1	0	8	ख	राजपत्रित
16.	अनुभाग अधिकारी	14	14	0	8	ख	राजपत्रित
17.	पी.एस.	5	1	4	8	ख	राजपत्रित
18.	ए.एस.ओ.	15	10	5	7	ख	अराजपत्रित
19.	पी.ए.	3	0	3	7	ख	अराजपत्रित
20.	एस.टी.ओ	1	1	0	7	ख	अराजपत्रित
21.	अनुसंधान सहायक	1	0	1	7	ख	अराजपत्रित
22.	रिकार्ड सहायक	1	0	1	6	ख	अराजपत्रित
23.	जे.टी.ओ.	2	2	0	6	ख	अराजपत्रित
24.	लेखापाल	3	2	1	6/5	ख	अराजपत्रित
25.	केयर टेकर	1	0	1	4	ग	अराजपत्रित
26.	स्टेनो समूह 'घ'	9	7	2	4	ग	अराजपत्रित
27.	एसएसए/यूडीसी	1	1	0	4	ग	अराजपत्रित
28.	जेएसए/एलडीसी	2	0	2	2	ग	अराजपत्रित
29.	डिस्पैच राइडर	1	0	1	1	ग	अराजपत्रित
30.	स्टाफ़ कार चालक	5	0	5	2	ग	अराजपत्रित
31.	एमटीएस	14	7	7	1	ग	अराजपत्रित
	कुल	**113**	**79**	**34**			

अनुबंध - III

दिनांक 22.2.2024 की स्थिति में पंचायती राज मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना

अनुबंध - IV

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)/संशोधित आरजीएसए के तहत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार जारी की गई धनराशि

क्र. सं.	राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	आरजीएसए				संशोधित आरजीएसए	
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2	आंध्र प्रदेश	67.69	0.00	22.34	38.54	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	33.19	39.59	0.00	30.07	108.69	60.09
4	असम	39.21	23.22	26.12	44.04	55.29	60.00
5	बिहार	4.25	0.00	0.00	63.77	33.37	0.00
6	छत्तीसगढ़	7.24	0.00	4.04	7.93	0.00	17.57
7	दादरा एवं नगर हवेली और	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	1.00
	दमन और दीव	0.00	0.00				
8	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.89
9	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	हरियाणा	6.99	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	17.26	10.00	22.10	32.42	60.645	19.31
12	जम्मू एवं कश्मीर	25.06	6.19	25.00	40.00	40.00	40.00
13	झारखंड	4.49	0.00	2.34	7.74	0.00	31.00
14	कर्नाटक	0.00	0.00	0.44	29.15	36.00	0.00
15	केरल	7.68	0.00	8.13	12.00	30.40	10.00
16	लद्दाख	-	-	2.15	1.08	0.00	0.00
17	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	62.79	85.48	71.42	47.11	28.00	32.17
19	महाराष्ट्र	11.54	8.44	66.76	73.34	37.84	95.44
20	मणिपुर	9.25	4.54	3.41	2.98	8.63	0.00
21	मेघालय	4.44	2.63	3.97	0.00	0.00	6.00
22	मिजोरम	9.85	0.50	21.19	5.56	14.27	10.00
23	नागालैंड	7.89	3.94	3.72	4.58	0.00	10.00
24	ओडिशा	0.00	0.00	2.94	1.33	11.397	27.33
25	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	पंजाब	29.68	0.00	13.45	10.78	34.253	10.00
27	राजस्थान	25.57	0.00	12.98	17.27	0.00	21.72
28	सिक्किम	5.08	5.10	4.75	1.19	6.01	6.00
29	तमिलनाडु	57.60	5.30	56.88	39.89	25.42	0.00
30	तेलंगाना	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
31	त्रिपुरा	2.77	0.00	2.53	4.67	9.80	0.00
32	उत्तर प्रदेश	57.14	169.92	32.54	83.08	85.05	84.126
33	उत्तराखंड	33.05	23.79	26.75	0.00	42.48	64.67
34	पश्चिम बंगाल	54.94	44.10	33.52	15.14	4.28	33.47
	योग	584.65	432.74	491.34	614.25	672.96	641.38
	अन्य कार्यान्वयन एजेंसी	13.62	0.16	8.59	3.75	10.009	13.97
	कुल	**598.27**	**432.90**	**499.93**	**617.99**	**682.98**	**655.35**

अनुबंध - V

आरजीएसए के तहत 2018-19 से 2023-24 तक प्रशिक्षित प्रतिभागियों की राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	343	509	0	553	1,874	2,120
2	आंध्र प्रदेश	3,80,224	6,00,866	4,83,233	1,55,089	6,77,905	33,107
3	अरुणाचल प्रदेश	1,785	9,636	0	18,377	3,711	1,163
4	असम	3,22,528	2,09,737	1,14,159	1,26,731	2,28,013	2,74,867
5	बिहार	0	30,223	34,871	72,328	4,04,741	94,266
6	छत्तीसगढ़	2,92,025	1,29,543	39,843	54,164	1,21,324	99,122
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	56	61	0	813	575	0
8	गोवा	1704	3089	0	3249	1777	144
9	गुजरात	5,43,094	22,159	0	10,455	29,090	956
10	हरियाणा	35,293	0	3,334	5,776	4,859	8,973
11	हिमाचल प्रदेश	7,303	3,852	518	26,923	1,08,721	18,018
12	जम्मू एवं कश्मीर	1,02,540	34,256	11,950	26,1087	2,84,144	3,50,022
13	झारखंड	11,221	0	0	25,260	52,083	32,080
14	कर्नाटक	3,01,375	3,04,477	2,96,546	3,78,586	2,53,464	94,905
15	केरल	1,09,057	1,07,216	0	1,50,634	1,79,576	66,196
16	लद्दाख	0	0	0	4,898	204	0
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	5,40,573	4,80,984	9,61,367	3,74,724	2,81,550	54,480
19	महाराष्ट्र	80,703	7,11,268	1,16,315	6,81,610	10,43,060	3,37,323
20	मणिपुर	20,204	582	8,338	1,682	895	4,858
21	मेघालय	2,600	10,797	0	3,159	11,598	397
22	मिजोरम	6,510	3,048	0	4,337	2,659	0
23	नागालैंड	14,999	5,457	600	25,540	1,832	1,505
24	ओडिशा	36,851	65,500	37,784	27,770	79,124	1,25,407
25	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
26	पंजाब	77,112	0	28,094	45,940	36,380	8,204
27	राजस्थान	1,22,077	570	0	3,164	92,279	10,823
28	सिक्किम	15,166	6,910	15,166	5,439	13,563	4,076
29	तमिलनाडु	3,91,621	1,60,399	6,28,125	1,38,810	1,06,560	61,888
30	तेलंगाना	1,69,078	14,016	1,039	4,927	14,534	1,316
31	त्रिपुरा	15,910	10,399	6,794	43,138	7,743	13,096
32	उत्तर प्रदेश	2,51,796	16,648	71,835	1,16,042	48,562	39,911
33	उत्तराखंड	38,839	2,226	20,335	17,922	26,38,96	90,110
34	पश्चिम बंगाल	4,12,64	4,53,766	4,48,226	4,21,398	1,75,058	1,49,930
35	केंद्रीय/एनआईआरडीपीआर	--	--	--	--	5230	641
	कुल	**43,04,651**	**33,98,194**	**33,28,472**	**32,10,525**	**45,36,584**	**18,98,804**

* दिसंबर, 2024 तक

अनुबंध - VI

दिनांक 31.12.2023 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान का वर्ष-वार आवंटन और रिलीज

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
1	आंध्र प्रदेश	2625.00	2625.00	1939.00	1917.85	2010.00	988.35	2031.00	
2	अरूणाचल प्रदेश	231.00	231.00	170.00	85.00	177.00		179.00	
3	असम	1604.00	1604.00	1186.00	1186.00	1228.00	1228.00	1241.00	620.50
4	बिहार	5018.00	5018.00	3709.00	3709.00	3842.00	3842.00	3884.00	2706.16
5	छत्तीसगढ़	1454.00	1454.00	1075.00	1075.00	1114.00	1114.00	1125.00	562.50
6	गोवा	75.00	75.00	55.00	55.00	57.00		58.00	
7	गुजरात	3195.00	3195.00	2362.00	2362.00	2446.00	2446.00	2473.00	1236.50
8	हरियाणा	1264.00	1264.00	935.00	935.00	968.00	677.11	979.00	126.51
9	हिमाचल प्रदेश	429.00	429.00	317.00	317.00	329.00	329.00	332.00	52.60
10	झारखंड	1689.00	1689.00	1249.00	1249.00	1293.00	1293.00	1307.00	
11	कर्नाटक	3217.00	3217.00	2377.00	2375.50	2463.00	2093.55	2490.00	423.30
12	केरल	1628.00	1628.00	1203.00	1203.00	1246.00	1246.00	1260.00	252.00
13	मध्य प्रदेश	3984.00	3984.00	2944.00	2944.00	3050.00	3050.00	3083.00	
14	महाराष्ट्र	5827.00	5827.00	4307.00	4107.82	4461.00	3696.71	4510.00	1782.33
15	मणिपुर	177.00	177.00	131.00	65.50	135.00		137.00	
16	मेघालय	182.00	182.00	135.00	40.50	140.00		141.00	
17	मिजोरम	93.00	93.00	69.00	34.50	71.00		72.00	
18	नागालैंड	125.00	125.00	92.00	92.00	96.00		97.00	
19	ओडिशा	2258.00	2258.00	1669.00	1669.00	1728.00	1728.00	1747.00	1050.25
20	पंजाब	1388.00	1388.00	1026.00	1026.00	1062.00	1062.00	1074.00	
21	राजस्थान	3862.00	3862.00	2854.00	2854.00	2957.00	2955.34	2989.00	536.47
22	सिक्किम	42.00	42.00	31.00	31.00	33.00	33.00	33.00	16.50
23	तमिलनाडु	3607.00	3607.00	2666.00	2666.00	2761.00	2761.00	2791.00	1394.97
24	तेलंगाना	1847.00	1847.00	1365.00	1365.00	1415.00	1415.00	1430.00	998.67
25	त्रिपुरा	191.00	191.00	141.00	141.00	147.00	147.00	148.00	29.60
26	उत्तर प्रदेश	9752.00	9752.00	7208.00	7208.00	7466.00	7466.00	7547.00	2680.87
27	उत्तराखंड	574.00	574.00	425.00	418.70	440.00	439.21	445.00	222.06
28	पश्चिम बंगाल	4412.00	4412.00	3261.00	3261.00	3378.00	3378.00	3415.00	1707.50
	कुल	**60750.00**	**60750.00**	**44901.00**	**44393.37**	**46513.00**	**43388.26**	**47018.00**	**16399.27**

(करोड़ रुपये में)

अनुबंध - V

आरजीएसए के तहत 2018-19 से 2023-24 तक प्रशिक्षित प्रतिभागियों की राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	एलजीडी के अनुसार कुल गांव	सर्वेक्षण हेतु अधिसूचित गाँव	ड्रोन उड़ान पूर्ण करने वाले गाँव	तैयार संपत्ति कार्ड (गांव)	तैयार किए गए संपत्ति कार्डों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	559	186	186	141	7409
2	आंध्र प्रदेश	17950	17949	13,236	635	282,453
3	अरुणाचल प्रदेश	5485	5484	2245	0	0
4	असम	27959	1074	900	0	0
5	छत्तीसगढ़	20363	18500	13079	525	92194
6	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	101	80	80	75	4397
7	दिल्ली	222	31	31	0	0
8	गोवा	429	410	410	410	672646
9	गुजरात	19039	13132	12630	1759	347751
10	हरियाणा	7596	6260	6260	6260	2515646
11	हिमाचल प्रदेश	21353	15196	11654	107	2281
12	जम्मू और कश्मीर	6857	4590	4116	286	10116
13	झारखंड	32737	757	240	0	0
14	कर्नाटक	30715	30715	8,632	2960	937829
15	केरल	1666	1415	287	0	0
16	लद्दाख	248	232	232	95	2796
17	लक्षद्वीप द्वीप समूह	27	10	10	0	0
18	मध्य प्रदेश	55909	43014	43,014	19668	2607147
19	महाराष्ट्र	44647	37819	36,837	12255	1893343
20	मणिपुर	3856	3856	209	0	0
21	मिजोरम	875	864	215	9	1155
22	ओडिशा	52245	3356	2483	43	1500
23	पुदुचेरी	127	96	96	92	2801
24	पंजाब	12784	11718	8,350	92	15231
25	राजस्थान	46973	36,901	28,411	3143	178398
26	सिक्किम	483	1	1	0	0
27	तमिलनाडु	18696	3	3	0	0
28	तेलंगाना	11226	5	5	0	0
29	त्रिपुरा	898	898	1	0	0
30	उत्तर प्रदेश	110147	90908	90,908	52388	7519520
31	उत्तराखंड	17325	7441	7441	7441	278229
	कुल	**569497**	**352901**	**292202**	**108384**	**17372842**

31 दिसंबर, 2023 तक

अनुबंध - VIII

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023
(राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार पुरस्कारों की कुल संख्या)

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	वित्तीय प्रोत्साहन आधारित पुरस्कारों की कुल संख्या				केवल प्रमाणपत्र (कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं)	कुल योग (वित्तीय + केवल प्रमाणपत्र)
		जिला पंचायत	ब्लॉक पंचायत	ग्राम पंचायत	कुल	ग्राम पंचायत	
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	1	**1**	-	1
2.	असम	-	-	1	**1**	-	1
3.	छत्तीसगढ़	-	-	2	**2**	-	2
4.	जम्मू और कश्मीर	-	-	3	**3**	-	3
5.	झारखंड	-	-	1	**1**	-	1
6.	केरल	-	-	5	**5**	-	5
7.	महाराष्ट्र	-	-	4	**4**	1	5
8.	मिजोरम	-	-	1	**1**	-	1
9.	ओडिशा	1	1	5	**7**	1	8
10.	तमिलनाडु	-	-	1	**1**	-	1
11.	तेलंगाना	1	1	10	**12**	1	13
12.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	1	-	-	**1**	-	1
13.	त्रिपुरा	-	1	-	**1**	1	2
14.	उत्तर प्रदेश	-	-	2	**2**	-	2
	कुल	**3**	**3**	**36**	**42**	**4**	**46**

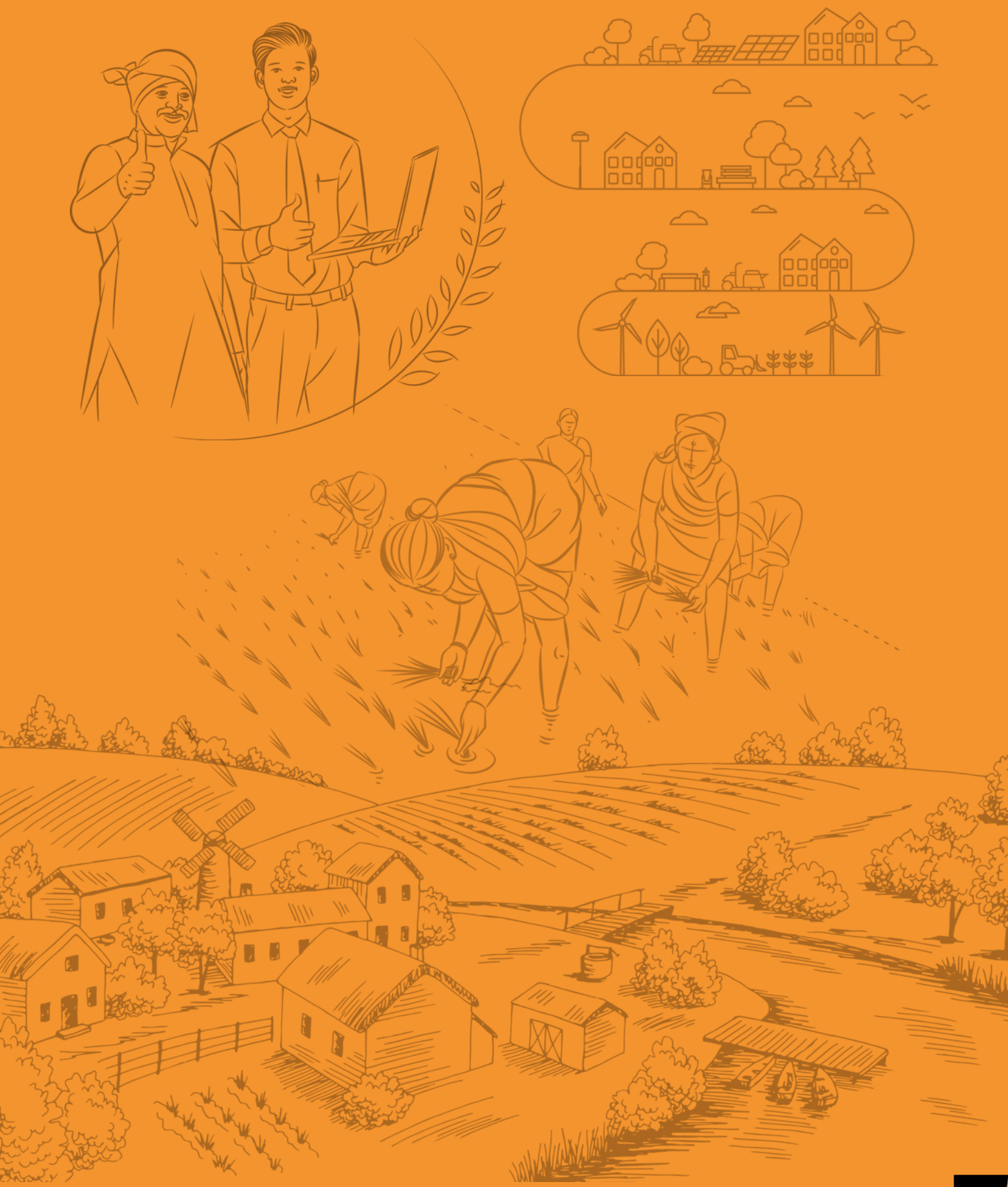

सत्यमेव जयते
Government of India
Ministry of Panchayati Raj